क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

पत्रांकः– 325/L-192/24 दिनांकः– 10-07-2024

To,

E-Filing/E-mail

The Registrar,
The National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi
E-mail- judicial-ngt@gov.in

Sub: Response on behalf of U.P. Pollution Control Board in compliance of the order dated 03-04-2024 passed by Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Original Application No. 332 of 2024 ATS One Hamlet Apartments Owners Association Vs Government of Uttar Pradesh & Ors.

Sir,

That in compliance of the order dated 03-04-2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Original Application No. 332 of 2024 ATS One Hamlet Apartments Owners Association Vs Government of Uttar Pradesh & Ors compliance on behalf of U.P. Pollution Control Board is being annexed herewith for kind perusal and with the request that the same may be placed before the Hon'ble Tribunal for consideration and necessary directions.

Yours Sincerely

(Utsav Sharma)
Regional Officer

Copy to:

1. Shri Pradeep Misra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/ NGT, New Delhi for perusal and necessary action please.
2. Chief Environmental Officer, C-1, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
3. Law Officer-I, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.

Regional Officer

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 332/2024

In the matter of:

ATS One Hamlet Apartments Owners Association ...Applicant

Versus

Goverment of Uttar Pradesh & Ors. Respondent

RESPONSE ON BEHALF OF UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 03.04.2024.

IT IS MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. That the instant matter was taken up by this Hon'ble Tribunal on basis of an application on behalf of ATS One Hamlet Apartments Owners Association alleging that Maharishi Yogesh Ashram Trust is illegally cutting trees and destroying the green belt on the plot adjoining their society and is making construction thereon.
2. That it has also been alleged in the said application that the area in which construction is being done is shown as green belt in the master plan of NOIDA and the trees in the said area are being cut without requisite permissions from the competent Authority under the U.P. Protection of Trees Act, 1976.

3. That Hon'ble Tribunal has acknowledged that averments made in the application raise substantial question relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in Schedule I of the National Green Tribunal Act, 2010 and has issued notice to the respondents for filing their response.
4. That Uttar Pradesh Pollution Control, through its Chairman has been impleaded as Respondent No.2 by the applicant and notice in the said matter has also been issued by the Hon'ble Tribunal.
5. That in view of the issue raised by the applicant regarding destruction of green belt, and violation of provisions laid under the U.P. Protection of Trees Act, 1976, Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Noida has issued notice and sought report from Respondent No. 6. Maharishi Yogi Ashram Trust vide letter dated 27.05.2024. Also, report has been sought from Divisional Forest Officer, Gautam Buddha Nagar vide letter dated 27.05.2024. Copy of letter issued to Maharishi Yogi Ashram Trust and Divisional Forest Officer is being annexed as *Annexure I* and *Annexure II* respectively.
6. That Maharishi Yogi Ashram Trust has submitted its response on 04.06.2024 and 24.06.24. In their response, the Trust has stated that the averments made in the application regarding illegal cutting of tree are

false. It has been stated that the Ashram is spread across and area of around 300 acres and the land acquisition for same was done in 1979-80. It has also been stated that the Trust has been in existence and in operation at the said premises since decades and Maharishi Vidya Mandir, Maharishi Bal Vidya Mandir and Maharishi University of Information Technology among others are also operating from the said premises. Also, it has been reiterated that no green belt has been destroyed and the structure near Gate No. 8 is a *Yagyashala* and is used for carrying out prayers and associated activities.

7. That the Ashram Trust has also claimed in their response that no trees have been cut illegally within their premises and cleaning of weeds and unorganized bushes has been done in the premises. Copy of the response received from Maharishi Yogi Ashram Trust is annexed as *Annexure III*.

8. That joint inspection of Maharishi Yogi Ashram has been done by officers of Regional Office, U.P. Pollution Control Board and Forest Department, Gautam Buddha Nagar on 26.06.2024. During said inspection, officers of forest department have ascertained that trees have been cut in the area and no permission has been taken from Forest Department. In view of said violation, case has already been registered by the Forest Department and

notice has been issued to Trustee, Maharishi Ashram, Sector 104, Noida on 29.04.2024.

9. That the Forest Department has ascertained that trees have been cut illegally in an area of around 0.51 Hectares for construction of path. It has been stated in the Joint Inspection report that Su-Babul, Prosopis, Juliflora, Siras, Neem, Bel, Mango and Peepal among others are some of the species which have been removed for construction of said path. Accordingly, penalty of Rs. 2,00,000/- has been imposed under section 4/10 of Tree Conservation Act, 1976, further recovery of Rs. 50,000/- has been made under section 3/28 of Uttar Pradesh Transit Law, 1978 which has been deposited by the Ashram. Copy of report received from Divisional Forest officer, Gautam Buddha Nagar on 05.07.2024 is being annexed as *Annexure IV*.

10. That the above facts are being placed for kind consideration of this Hon'ble Tribunal.

(P.P. Singh)
Assistant Environmental Engineer
UPPCB, Noida

(Utsav Sharma)
Regional Officer
UPPCB, Noida

Annexure-1

क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

पत्रांकः— 160/L-192/24 दिनांकः— 27-05-2024

सेवा में,

प्रबन्धक निदेशक,
महर्षि योगी आश्रम ट्रस्ट, महर्षि नगर,
सेक्टर—110, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर।

विषयः—मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 332/2024 ATS One Hamlet Apartment Owner Association Vs. Government of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 03.04.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 332/2024 ATS One Hamlet Apartment Owner Association Vs. Government of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 03.04.2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसका मुख्य अंश निम्नवत् हैः—

".....1. In this original application, a Group Housing Society of Sector 104, Noida of Gautam Budh Nagar has raised a complaint that Respondent No. 6 is illegally cutting trees and destroying the green belt on the plot adjoining the society of the Applicant and is making construction thereon. The stand of the Applicant is that the land where Respondent No. 6 is raising construction is shown as green belt in the master plan of Noida and there are huge vegetation consisting of full grown-up trees of various kinds in that area and Respondent No. 6 is cutting trees without any permission from the competent authority under the UP Protection of Trees Act, 1976.

2. During the course of argument, learned Counsel for the Applicant has referred to the Master Plan of Noida on page 31 and photographs on page 43 to show that the trees from green belt are being cut by Respondent No. 6.

3. The OA raises substantial issue relating to compliance of environmental norms.

4. Issue notice to the respondents for filing the response at least one week before the next date of hearing. Applicant is directed to serve the respondents and file affidavit of service at least one week before the next date of hearing.

5. List on 12.07.2024...."

अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में शिकायत महर्षि योगी आश्रम ट्रस्ट, महर्षि नगर, सेक्टर—110, नोएडा द्वारा अवैध रूप से पेड़ काटने एवं गौतमबुद्ध नगर के सेक्टर—104, नोएडा स्थित ग्रुप हाउसिंग सोसायटी से सटे भूखण्ड पर ग्रीन बेल्ट को नष्ट कर उस पर निर्माण करने से सम्बन्धित है। प्रकरण आपके से सम्बन्धित है। अतः उक्त प्रकरण पर अपना पक्ष रखते हुये 01 सप्ताह में आख्या प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे ससमय से आख्या मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को प्रेषित की जा सके।

भवदीय,

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः—जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्ध नगर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

पत्रांकः– 161/L-192/24 दिनांकः– 27-05-2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
गौतमबुद्ध नगर।

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 332/2024 ATS One Hamlet Apartment Owner Association Vs. Government of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 03.04.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 332/2024 ATS One Hamlet Apartment Owner Association Vs. Government of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 03.04.2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसका मुख्य अंश निम्नवत् हैः–

".....1. In this original application, a Group Housing Society of Sector 104, Noida of Gautam Budh Nagar has raised a complaint that Respondent No. 6 is illegally cutting trees and destroying the green belt on the plot adjoining the society of the Applicant and is making construction thereon. The stand of the Applicant is that the land where Respondent No. 6 is raising construction is shown as green belt in the master plan of Noida and there are huge vegetation consisting of full grown-up trees of various kinds in that area and Respondent No. 6 is cutting trees without any permission from the competent authority under the UP Protection of Trees Act, 1976.

2. During the course of argument, learned Counsel for the Applicant has referred to the Master Plan of Noida on page 31 and photographs on page 43 to show that the trees from green belt are being cut by Respondent No. 6.

3. The OA raises substantial issue relating to compliance of environmental norms.

4. Issue notice to the respondents for filing the response at least one week before the next date of hearing. Applicant is directed to serve the respondents and file affidavit of service at least one week before the next date of hearing.

5. List on 12.07.2024...."

अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में शिकायत महर्षि योगी आश्रम ट्रस्ट, महर्षि नगर, सेक्टर–110, नोएडा द्वारा अवैध रूप से पेड़ काटने एवं गौतमबुद्ध नगर के सेक्टर–104, नोएडा स्थित ग्रुप हाउसिंग सोसायटी से सटे भूखण्ड पर ग्रीन बेल्ट को नष्ट कर उस पर निर्माण करने से सम्बन्धित है।

प्रकरण आपके विभाग से सम्बन्धित है। अतः उक्त की जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुये आख्या प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे ससमय से आख्या मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को प्रेषित की जा सके।

भवदीय,

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्ध नगर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

महर्षि आश्रम

प्रशासनिक कार्यालय : वाता बी, ब्लाक, आरोग्यधाम, महर्षि नगर, नोएडा, जिला– गौतमबुद्ध नगर, उ0प्र0 – 201304
टेलीफोन नं0 : 0120- 2461364, 2461365, Email: mict@maharishi.net

Recd
04-06-2024

दिनांक : 04/06/2024

सेवा में,
श्रीमान् क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा,
जिला – गौतमबुद्ध नगर, उ0प्र0।

विषय : आपके कार्यालय के पत्रांक संख्या 160/एल–192/24, दिनांक 27/05/2024 के अन्तर्गत भेजी गयी नोटिस के सन्दर्भ में।

महोदय,

आपके कार्यालय द्वारा प्रेषित नोटिस में यह तथ्य वर्णित है कि "महर्षि योगी आश्रम ट्रस्ट, महर्षि नगर, सैक्टर 110 नोएडा द्वारा अवैध रूप से पेड़ काटने एवं गौतमबुद्ध नगर के सैक्टर – 104, नोएडा स्थित ग्रुप हाउँसिंग सोसाइटी से सटे भूखण्ड पर ग्रीन बेल्ट को नष्ट कर उस पर निर्माण किया जा रहा है"। यह तथ्य सत्य नहीं है तथा आपके संज्ञान में वास्तविक स्थिति को लाया जाना अनिवार्य है जिससे आप हमारी संस्था के धार्मिक, शैक्षणिक तथा चैरिटेबुल कार्यो से परिचित हो सकें।

पूज्य महर्षि महेश योगी जी के दैवीय निर्देशन तथा आशीर्वाद से ग्राम सलारपुर खादर, भंगेल बेगमपुर तथा ग्राम– गेझा, नोएडा, उ0प्र0 के अन्तर्गत स्थित विभिन्न खसरा नंम्बरों पर विगत कई दशकों से महर्षि आश्रम संचालित है। इस परिसर में विगत कई वर्षो से भावातीत ध्यान योग की विद्या का प्रचार – प्रसार किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त इसी भूमि पर महर्षि विद्यामंदिर, महर्षि बाल विद्यामंदिर एवं महर्षि यूनिवर्सिटी आफ इन्फारमेशन टेक्नालोजी के नोएडा कैम्पस की भी स्थापना की गयी है। जिनके माध्यम से इस क्षेत्र के तथा अनेक प्रदेशों के विद्यार्थी विद्या का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

महोदय आपके संज्ञान में यह तथ्य लाया जाना अनिवार्य है कि उपरोक्त गतिविधियों के सफलतापूर्वक एवं सुरक्षित संचालित किये जाने हेतु कैम्पस की साफ सफाई इत्यादि का ध्यान रखना यहाँ की प्रबन्ध समिति का दायित्व है। जिसके फलस्वरूप समय–समय पर आश्रम परिसर की सुरक्षा की समीक्षा भी प्रबन्ध समिति के द्वारा की जाती है।

इसी क्रम में आश्रम परिसर के अन्तर्गत बेतरतीब प्रकार से उगे हुए झाड़ झंखाड़ की साफ–सफाई कराया जाना आवश्यक हो जाता है जिससे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों जिसके अन्तर्गत छात्रायें भी सम्मिलित है उनके साथ कोई अनहोनी घटना घटित न होने पाये।

अतः आश्रम परिसर की सुरक्षा तथा किसी अनहोनी घटना को रोके जाने हेतु प्रबन्ध समिति के द्वारा समय–समय पर इन झाड़ झंखाड़ की साफ–सफाई करायी जाती है। इस क्षेत्र में भ्रमण करने वाले छात्र – छात्राओं तथा छोटे–छोटे बच्चों की सुरक्षा हेतु झाड़ झंखाड़ की सफाई की गयी है जिससे भविष्य में होने वाली किसी अनहोनी घटना को रोका जा सके।

इसके अतिरिक्त हमारे आश्रम परिसर में लगभग 500 परिवारों के सदस्य भी निवास करते हैं जिनमें उनके छोटे–छोटे बच्चे भी हैं तथा विषैले सर्प तथा अन्य जीव–जन्तुओं से उन्हें सुरक्षित रखने हेतु इस प्रकार की सफाई का किया जाना अत्यन्त अनिवार्य होता है।

आपके संज्ञान में यह तथ्य लाया जाना भी अनिवार्य है कि हमारे आश्रम परिसर से सटे हुए ए.टी.एस. (A.T.S.) हाउसिंग सोसाइटी के कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों के द्वारा लगातार हमारी संस्था की धार्मिक गतिविधियों में अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता रहा है तथा जब भी हमारी संस्था कोई धार्मिक अनुष्ठान, प्रवचन, यज्ञ इत्यादि का आयोजन करती है तब इन लोगों के द्वारा स्थानीय पुलिस प्रशासन एवं अन्य स्थानीय विभागों इत्यादि में हमारी संस्था की झूठी एवं भ्रामक शिकायतें की जाती रही हैं। इन्हीं व्यक्तियों के द्वारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में भी हमारी संस्था के विरूद्ध शिकायत की गयी है जिसका विधिवत उत्तर हमारी संस्था के द्वारा दिया जायेगा।

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि अपने कार्यालय द्वारा प्रेषित उपरोक्त नोटिस को कृपया वापस लेने की कृपा करें। हमारे संस्थान के प्रतिनिधि आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर आपको महर्षि आश्रम परिसर की वास्तविक स्थिति से परिचित करायेगें।

सधन्यवाद,

MAHARISHI ASHRAM

अध्यक्ष
प्रबन्ध समिति

Recd
CM
24-06-2024

महर्षि आश्रम

सोसाइटी पंजीयन अधिनियम 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत सोसाइटी, पंजीकरण संख्या एस. 12093 वर्ष 1981
रजिस्टर्ड कार्यालय :- 121, प्रथम तल, डी.एल.एफ. गलेरिया मयूर विहार, फेस-1, दिल्ली- 110091
प्रशासनिक कार्यालय :- वाता बी ब्लाक, आरोग्यधाम, महर्षि नगर, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उ0 प्र0 201304
ईमेल- mict@maharishi.net , दूरभाष नम्बर - 0120 246 1 364/ 0120 246 1 365

दिनांक : 24/06/2024

प्रति,
क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
12/1, ब्लाक - ई, सेक्टर - 1,
नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उ0प्र0- 201301

विषय : **महर्षि आश्रम, महर्षि नगर, नोएडा, जिला - गौतमबुद्ध नगर, उ0प्र0 स्थित परिसर के संबंध में ए.टी.एस. वन हेमलेट अपार्टमेन्ट ओनर्स एसोसिएशन के द्वारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में की गयी शिकायत के संबंध में महर्षि आश्रम सोसाइटी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन।**

महोदय,

महर्षि आश्रम एक पंजीकृत सोसाइटी है जिसकी पंजीयन संख्या एस. 12093 वर्ष 1981 है। यह सोसाइटी पूज्य महर्षि महेश योगी जी के दैवीय निर्देशन एवं आशीर्वाद से जन कल्याण एवं शैक्षणिक कार्यो इत्यादि को किये जाने के उद्देश्य से स्थापित की गयी है।

पूज्य महर्षि महेश योगी जी एक विलक्षण संत हुये हैं जिन्होंने अपने गुरूदेव स्वामी ब्रम्हानन्द सरस्वती शंकराचार्य ज्योतिर्मठ पीठ से दीक्षा प्राप्त कर सम्पूर्ण जगत को भावातीत ध्यान योग विद्या से परिचित कराया।

जिला- गौतमबुद्ध नगर, उ0प्र0 (तत्कालीन जिला- गाजियाबाद, उ0प्र0) में महर्षि आश्रम तथा इसकी सहयोगी संस्थाओं के द्वारा लगभग 300 एकड़ भूमि उपरोक्त उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु क्रय की गयी थी। यह उल्लेखनीय है कि अधिकांश भूमि इस स्थान पर वर्ष 1979 में ही क्रय की जा चुकी थी तथा उस समय नोएडा विकास प्राधिकरण का कोई भी कार्यक्रम इस परिसर तथा इसके आस-पास के क्षेत्रों में संचालित नहीं था।

इस स्थान पर पूज्य महर्षि महेश योगी जी के सानिध्य में वर्ष 1979 से ही अनेक शैक्षणिक, धार्मिक एवं चैरिटेबुल कार्यक्रम संचालित किये गये जिसके अन्तर्गत 1980 के दशक में लगभग 10 हजार वैदिक विद्वानों को इस स्थान पर एकत्रित किया जाना तथा

Sr. CL...
कृ० नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।
क्षेत्रीय अधिकारी

MAHARISHI ASHRAM

उनके सामूहिक ध्यान-साधना के माध्यम से विश्व शान्ति के कार्यक्रमों को संचालित किया जाना प्रमुख था। उसी समय इस स्थान से महर्षि जी के सानिध्य में प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त अनेक वैदिक विद्वानों के द्वारा भारत वर्ष के अनेक क्षेत्रों के साथ-साथ विश्व के अनेक देशों में वेद भूमि भारत के प्राचीनतम वैदिक ज्ञान की शिक्षा का प्रचार- प्रसार पूर्ण मनोयोग से किया गया जिसके फलस्वरूप इस विलक्षण ज्ञान से सम्पूर्ण विश्व का परिचय हो गया।

यह उल्लेखनीय है वर्तमान में भी उपरोक्त भूमि पर अनेक कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त **"महर्षि यूनिवर्सिटी आफ इन्फार्मेशन टेक्नालोजी का नोएडा कैम्पस"**, वैदिक विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क **"महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ"**, **महर्षि भावातीत ध्यान केन्द्र** के माध्यम से भावातीत ध्यान की शिक्षा को प्रदान किया जाना, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त विद्यालय **(महर्षि विद्यामंदिर)** एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त निःशुल्क **महर्षि बाल विद्यामंदिर** इत्यादि कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

महोदय हमारी संस्था को यह ज्ञात हुआ है कि ए.टी.एस. वन हेमलेट अपार्टमेन्ट ओनर्स एसोसिएशन के द्वारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में एक शिकायत दर्ज करायी गयी है जिसमें अनेक आरोप हमारी संस्था के संबंध में लगाये गये हैं जिनकी सुनवायी दिनांक 12 जुलाई 2024 को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के द्वारा सुनिश्चित की गयी हैं। इस संबंध में हमारी सोसाइटी के द्वारा विधिवत जवाब तैयार कर प्रस्तुत किया जायेगा।

आपके कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा इस शिकायत के संबंध में दिनांक 21/06/2024 को हमारे उपरोक्त परिसर का निरीक्षण किया गया एवं कुछ बिन्दुओं पर जानकारी माँगी गयी है जिसके संबंध में निम्नलिखित तथ्यों से आपके कार्यालय को अवगत कराया जा रहा हैं :-

01. यह कि वर्ष 1979 में हमारी संस्था के द्वारा इस स्थान पर सर्व प्रथम भूमि दिनांक 28/08/1979, 26/09/1979 एवं 14/12/1979 को क्रय की गयी थी। विक्रय विलेखों की प्रतियाँ संलग्न है।

02. यह कि नोएडा विकास प्राधिकरण के द्वारा महर्षि आश्रम परिक्षेत्र के निकट मास्टरप्लान की घोषणा बाद में की गयी है जबकि हमारी संस्था के द्वारा उपरोक्त वर्णित समस्त कार्यक्रम इस भूमि पर वर्ष 1979 से ही संचालित है।

03. ए.टी.एस. वन हेमलेट अपार्टमेन्ट ओनर्स एसोसिएशन के द्वारा हमारी संस्था पर यह आरोप लगाया गया है कि हमारी संस्था के द्वारा अनेक वृक्षों को काटा गया है जबकि इसके विपरीत हमारी संस्था के द्वारा समय-समय पर अनेक वृक्षारोपण के कार्यक्रम संचालित किये जाते रहे हैं एवं पिछले वर्ष जुलाई माह में वन विभाग से स्वीकृत कराकर सूरजपुर स्थित नर्सरी से एक हजार पौधों को लाकर आश्रम

MAHARISHI ASHRAM

परिसर में रोपित किये गये है जिसे वन विभाग से प्रमाणित कराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्राइवेट नर्सरी से भी पौधों को लाकर आश्रम परिसर को एक स्वच्छ पर्यावरण प्रदान किये जाने का कार्य किया जाता रहा है।

04. महोदय आपके संज्ञान में यह तथ्य लाया जाना अनिवार्य है कि उपरोक्त गतिविधियों के सफलतापूर्वक एवं सुरक्षित संचालित किये जाने हेतु कैम्पस की साफ सफाई इत्यादि का ध्यान रखना यहाँ की प्रबन्ध समिति का दायित्व है। जिसके फलस्वरूप समय-समय पर आश्रम परिसर की सुरक्षा की समीक्षा भी प्रबन्ध समिति के द्वारा की जाती है। इसी क्रम में आश्रम परिसर के अन्तर्गत बेतरतीब प्रकार से उगे हुए झाड़ झंखाड़ की साफ-सफाई कराया जाना आवश्यक हो जाता है जिससे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों जिसके अन्तर्गत छात्रायें भी सम्मिलित है उनके साथ कोई अनहोनी घटना घटित न होने पाये।

05. अतः आश्रम परिसर की सुरक्षा तथा किसी अनहोनी घटना को रोके जाने हेतु प्रबन्ध समिति के द्वारा समय-समय पर इन झाड़ झंखाड़ की साफ-सफाई करायी जाती है। इस क्षेत्र में भ्रमण करने वाले छात्र - छात्राओं तथा छोटे-छोटे बच्चों की सुरक्षा हेतु झाड़ झंखाड़ की सफाई की गयी है जिससे भविश्य में होने वाली किसी अनहोनी घटना को रोका जा सके।

06. इसके अतिरिक्त हमारे आश्रम परिसर में लगभग 500 परिवारों के सदस्य भी निवास करते हैं जिनमें उनके छोटे-छोटे बच्चे भी हैं तथा विषैले सर्प तथा अन्य जीव-जन्तुओं से उन्हें सुरक्षित रखने हेतु इस प्रकार की सफाई का किया जाना अत्यन्त अनिवार्य होता है।

07. आपके संज्ञान में यह तथ्य लाया जाना भी अनिवार्य है कि हमारे आश्रम परिसर से सटे हुए ए.टी.एस. हाउसिंग सोसाइटी के कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों के द्वारा लगातार हमारी संस्था की धार्मिक गतिविधियों में अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता रहा है तथा जब भी हमारी संस्था कोई धार्मिक अनुष्ठान, प्रवचन, यज्ञ इत्यादि का आयोजन करती है तब इन लोगों के द्वारा स्थानीय पुलिस प्रशासन एवं अन्य स्थानीय विभागों इत्यादि में हमारी संस्था की झूठी एवं भ्रामक शिकायतें की जाती रही हैं। इन्हीं व्यक्तियों के द्वारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में भी हमारी संस्था के विरूद्ध शिकायत की गयी है जिसका विधिवत उत्तर हमारी संस्था के द्वारा दिया जायेगा।

08. हमारे उपरोक्त परिसर के गेट नं0 8 एवं गेट नं0 9 के समीप यज्ञशाला का निर्माण किया गया है तथा समय-समय पर इन स्थानों पर अनेक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है। ए.टी.एस. हाउसिंग सोसाइटी के द्वारा स्थानीय पुलिस तथा प्रशासन को झूठी तथा भ्रामक शिकायतें की जाती रही है कि इन

MAHARISHI ASHRAM

स्थानों पर यज्ञ इत्यादि के आयोजन से गुजांयमान वैदिक मंत्रों के उच्चारण से इनकी निद्रा एवं शान्ति भंग होती है। इन लोगों के द्वारा हमारी संस्था के गेट नं0 8 एवं गेट नं0 9 को बलपूर्वक शासन को झूठी शिकायत करके बन्द करा दिया गया है।

09. इससे यह प्रतीत होता है कि इस सोसाइटी में निवासरत अधिकांश व्यक्ति किस प्रकार की विकृत मानसिक स्थिति से ग्रसित हैं। जिस वेद विज्ञान विद्या तथा योग विद्या का प्रचार प्रसार हमारे भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा सम्पूर्ण विश्व में किया जा रहा है इसी विद्या के प्रचार-प्रसार के प्रयासों को रोके जाने तथा हमारी संस्था के विरूद्ध अनर्गल एवं आधारहीन आरोप लगाया जाना अत्यन्त निन्दनीय है।

10. यह कि आपके संज्ञान में संस्था के द्वारा इस परिसर में वर्तमान में चल रहे तथा भविष्य में प्रस्तावित कार्यक्रमों की रूप रेखा भी प्रस्तुत की जा रही है जिससे संस्था के द्वारा संचालित किये जाने वाले वृहत कार्यक्रमों के संबंध में आपको जानकारी प्राप्त हो सके :

क. <u>महिला ध्यान विद्यापीठ प्रशिक्षण केन्द्र</u>

महिला ध्यान विद्यापीठ पूज्य महर्षि महेश योगी जी के दैवीय निर्देशन में स्थापित एक आदर्श संस्था है जिसके अन्तर्गत भारत के नारीशक्ति को जागृत एवं बहुमूखी प्रतिभा सम्पन्न बनाने हेतु विभिन्न कार्यक्रम सम्पन्न किये जाते है। जिसके अन्तर्गत महिलाओं को भावातीत ध्यान शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित कर उनके माध्यम से अधिकाधिक संख्या तक महिलाओं को भावातीत ध्यान का प्रशिक्षण दिया जाता है।

महिला ध्यान विद्यापीठ संस्था के माध्यम से अनेक कौशल विकास के कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते हैं जिसके अन्तर्गत महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई इत्यादि क्षेत्रों में प्रशिक्षित कर उन्हें आत्म निर्भर तथा स्वावलम्बी बनाये जाने में सहयोग प्रदान किया जाता है।

महर्षि आश्रम की सलारपुर तथा भंगेल ग्राम मे स्थिति भूमि में से 35 एकड़ भूमि का आवंटन महिला ध्यान विद्यापीठ केन्द्र की स्थापना किये जाने हेतु की गयी है जिसके अन्तर्गत ध्यान हाल, ध्यान शिक्षण के लिए कमरों की व्यवस्था, पुस्तकालय, ध्यान शिक्षकों एवं प्रशिक्षणार्थियों के रहने की व्यवस्था तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण कक्ष तथा प्रशिक्षण हाल इत्यादि निर्मित किये जाने की योजना है।

नोएडा क्षेत्र में महिला ध्यान विद्यापीठ केन्द्र की स्थापना किये जाने मात्र से एसे सर्वसमर्थवान, चेतनावान तथा सर्वव्यापता वाली महिलाऐं

MAHARISHI ASHRAM

प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में – शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सुरक्षा, पर्यावरण, पुर्नवास, व्यापार–व्यवसाय, प्रशासन आदि के क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करेंगी । यह हमारे प्रतिभारत भारत वर्ष के ज्ञान – विज्ञान की महती परम्परा है जो काल वश लुप्तप्राय हो रही थी, परन्तु महर्षि जी ने इसे पुनर्जाग्रत करके सम्पूर्ण विश्व में पुनर्स्थापित कर दिया है।

ख. **महर्षि आयुर्वेद वेलनेस केन्द्र**

महर्षि आश्रम की सलारपुर तथा भंगेल ग्राम मे स्थिति जमीन में से 40 एकड़ भूमि का आवंटन महर्षि आयुर्वेद वेलनेस केन्द्र की स्थापना किये जाने हेतु की गयी है जिसके अन्तर्गत ध्यान हाल, पंचकर्मा, चिकित्सा परामर्श कक्ष, निरोग प्राप्ति हेतु आये हुए अतिथियों के लिए कमरों की व्यवस्था, पुस्तकालय, वैद्य एवं अन्य स्टाफ के रहने की व्यवस्था तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण कक्ष तथा हाल इत्यादि निर्मित किये जाने की योजना है।

आयुर्वेद विश्व की प्राचीनतम्, सर्वाधिकपूर्ण एवं समग्र प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली है। आयुर्वेद प्राचीन भारत की वैदिक सभ्यता में उद्भूत् हुआ विज्ञान है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अधिकृत रूप से स्वीकार किया गया है। परम् पूज्य महर्षि जी के शब्दों में, "कुछ सदियों पुरानी औषधि प्रधान स्वास्थ्य पद्धति रोगो और कष्टों को समाप्त करने में असफल हुई है, यह इसलिए है क्योंकि केवल औषधि अकेले जीवन की समस्त संरचना एवं इसके विकास को निर्मित करने वाले असंख्य मूल्यों को प्रभावित करने के लिए अत्यन्त सतही है, केवल एक समग्र स्वास्थ्य पद्धति जो मन एवं व्यवहार के समस्त क्षेत्रों पर एक साथ विचार करती है, स्वस्थ्य के निर्वहन में सफल हो सकती है।"

आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से शरीर का शुद्धिकरण विभिन्न विधाओं के माध्यम से किया जाता है जिससे समस्त बीमारियों के मूल कारणों की चिकित्सा की जाती है।

महर्षि आश्रम की सलारपुर तथा भंगेल ग्राम मे स्थिति जमीन में से 40 एकड़ भूमि का आवंटन महर्षि अन्तर्राष्ट्रीय योग विश्वविद्यालय एवं नेचुरोपैथी प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना किये जाने हेतु की गयी है जिसके अन्तर्गत ध्यान हाल, योग शिक्षण के लिए कमरों की व्यवस्था, पुस्तकालय, योग शिक्षकों एवं प्रशिक्षणार्थियों के रहने की व्यवस्था तथा

MAHARISHI ASHRAM

व्यवसायिक प्रशिक्षण कक्ष तथा हाल इत्यादि निर्मित किये जाने की योजना है।

ग. **महर्षि योग प्रशिक्षण केन्द्र प्राकृतिक चिकित्सा (नेचुरोपैथी) केन्द्र**

महर्षि योग के माध्यम से शरीर एवं मन के पूर्ण स्वास्थ्य की स्थापना के लिए केन्द्र का संचालन किया जायेगा। "महर्षि योग" योग की वह विधा है जिसके माध्यम से शरीर और मन के स्वास्थ्य को स्थायी बनाया जा सकता है। समाज को आज महर्षि योग की नितान्त आवश्यकता है जिससे समाज पूर्ण स्वस्थ्य रहते हुए अपने समस्त क्रियाकलापों को कार्यरूप दे सके जिससे समाज की समस्त समस्याओं का समाधान स्वतः होने लगे।

प्राकृतिक चिकित्सा एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति एवं दर्शन है जिसमें प्राकृतिक, स्व–चिकित्सा आदि कही जाने वाली प्राकृतिक रूप से वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग होता है। इसके अन्तर्गत रोगों का उपचार व स्वास्थ्य लाभ का आधार है – रोगाणुओं से लड़ने की शरीर की स्वाभाविक शक्ति।

प्राकृतिक चिकित्सा (नेचुरोपैथी) केन्द्र की भी स्थापना की योजना है इस चिकित्सा के प्रयोग के लिए एक चिकित्सालय की स्थपना का निर्णय लिया गया है जिसमें चिकित्सा सम्पादित की जा सके। इसमें मिट्टी, वायु, सूर्य की रश्मियों एवं जल की विभिन्न अवस्थाओं के माध्यम से समस्त व्याधियों की चिकित्सा की जा सके। चिकित्सालय के साथ मरीजों के रहने की आवासीय व्यवस्था भी की जायेगी जिससे चिकित्सा काल में वे वहीं रहकर अपनी विधिवत चिकित्सा करा सकें।

इस योग विश्वविद्यालय में महर्षि प्रणीत भावातीत ध्यान एवं सिद्धियों का भी नियमित अभ्यास करायें जाने की योजना है जिसके नियमित अभ्यास से अपने मस्तिष्क में घनी तरंगो का आनन्द लेते हुए सामूहिक चेतना में सतोगुण का निर्माण कराया जाता है एवं समाज के जीवन में एकता एवं अखण्डता का प्रभाव निर्मित होता है।

घ. **महर्षि हर्बल गार्डेन**

महर्षि आश्रम की सलारपुर तथा भंगेल ग्राम मे स्थिति जमीन में से 35 एकड़ भूमि का आवंटन महर्षि हर्बल गार्डेन की स्थापना किये जाने हेतु की गयी है जिसके अन्तर्गत ध्यान हाल, के लिए कमरों की व्यवस्था, पुस्तकालय, गार्डेनर एवं प्रशिक्षणार्थियों के रहने की व्यवस्था तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण कक्ष तथा हाल इत्यादि निर्मित किये जाने की

MAHARISHI ASHRAM

योजना है। जिसके लिए विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट पृथक रूप से सम्मलित की जायेगी।

महर्षि हर्बल के उत्पादन से समस्त प्रकार की जड़ी–बूटीयों के द्वारा शुद्धतम् दवाओं का निर्माण करने की योजना है जिससे समाज को शुद्ध दवायें प्राप्त हो सकें जिससे उनके स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके।

ङ. **महर्षि विद्यामन्दिर एवं महर्षि बाल विद्यामन्दिर**

महर्षि आश्रम की सलारपुर तथा भंगेल ग्राम मे स्थिति जमीन में से 28 एकड़ भूमि का आवंटन महर्षि विद्यामन्दिर एवं महर्षि बाल विद्यामंदिर की स्थापना किये जाने हेतु की गयी है । वर्तमान में महर्षि नगर में एक महर्षि विद्यामंदिर सी0बी0एस0सी0 बोर्ड के द्वारा संचालित किया जा रहा है जिसमें लगभग 3000 विद्यार्थी शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इसी प्रकार महर्षि नगर परिसर में एक महर्षि बाल विद्यामन्दिर भी संचालित किया जा रहा है जिसकी मान्यता उ0प्र0 शिक्षा विभाग से प्राप्त है। इस महर्षि बाल विद्यामंदिर में लगभग 500 छात्र निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हमारे संस्था के द्वारा समय–समय पर इन छात्रों को भोजन, यूनिफार्म तथा पाठ्य पुस्तक इत्यादि की भी व्यवस्था करायी जाती है।

च. **महर्षि भावातीत ध्यान केन्द्र**

भावातीत ध्यान तंत्रिका व्यक्ति की पूर्ण सामर्थ्य को सहजरूपेण प्रकट करता है एवं दैनिक जीवन के समस्त क्षेत्रों को समृद्ध करता है। भावातीत ध्यान के नियमित अभ्यास से व्यक्ति के विचार सूक्ष्म और स्थिर होते जाते हैं एवं व्यक्ति विश्रांतिपूर्ण जागृति की एक अद्वितीय अवस्था का अनुभव करता है।

महर्षि आश्रम की गेझा ग्राम मे स्थिति जमीन में से 20 एकड़ भूमि का आवंटन भावातीत ध्यान केन्द्र की स्थापना किये जाने हेतु की गयी है जिसके अन्तर्गत ध्यान हाल, ध्यान शिक्षण के लिए कमरों की व्यवस्था, पुस्तकालय, ध्यान शिक्षकों एवं प्रशिक्षणार्थियों के रहने की व्यवस्था इत्यादि किये जाने की योजना है।

छ. **महर्षि वेद विज्ञान भवन**

महर्षि वेद विज्ञान का लक्ष्य वैदिक प्रयोगों से वैयक्तिक, पारिवारिक और सामाजिक जीवन को सुखी, शान्त एवं समृद्धिमय बनाना है।

MAHARISHI ASHRAM

महर्षि वेद विज्ञान भवन के द्वारा अनेक ऐसे कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे जिनके अन्तर्गत वैदिक प्रशासन राष्ट्रीय प्रशासन में समष्टि के प्रशासन की पोषणकारी विशेषताओं को क्रमशः 5 (पांच) पद्धतियों द्वारा समावेशित करेगा : –

1. शिक्षा के समस्त स्तर पर प्राकृतिक विधानों का अध्ययन – वैदिक अध्ययन जिससे जीवन का प्रत्येक क्षेत्र प्राकृतिक विधानों की अनन्त संगठनात्मक शक्ति की पूर्ण गरिमा में प्रफुल्लित हो।

2. एकीकृत राष्ट्रीय चेतना के निर्माण के लिये यौगिक फलायर्स के समूह बनाना 'प्रत्येक सरकार के लिए एक समूह' – सरकार के प्रत्येक स्तर पर–राष्ट्रीय, राज्य, जिला, नगर एवं पंचायत।

3. योग (बुद्धिमत्ता का एकीकृत गुण), ज्योतिष (बुद्धिमत्ता की सब कुछ जानने की विशेषता), ग्रहशान्ति (बुद्धिमत्ता का शान्त एवं स्थिर करने का गुण), एवं वास्तु शान्ति (बुद्धि की सम्बंधो को धारित करने की विशेषता) के ज्ञान का परिचय, यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन, प्राकृतिक विधानों के पूर्ण समर्थन में हो, सदैव विकासात्मक दिशा में हो एवं राष्ट्रीय प्रशासन, प्रकृति के प्रशासन द्वारा धारित होने से समस्याओं से रहित हो।

   इन वैदिक कार्यक्रमों को दीर्घकाल से भारत के समस्त राज्यों में ज्ञानीजनों द्वारा अभ्यास द्वारा पूरी जनसंख्या को कभी भी उपलब्ध नहीं कराया गया। इसीलिए सम्पूर्ण जनसंख्या इस भारतीय ज्ञान–वैदिक ज्ञान से वंचित नही है, जो पूर्णता को प्रदान करने वाला ज्ञान है।

4. वैदिक प्रशासन में प्रशासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता समस्याओं का निवारण करने की क्षमता होगी। प्राकृतिक विधानों की दैनिक वैदिक जीवनचर्या में समस्याओं को उनके उदित होने से पूर्व निवारण करने की क्षमता है–**हेयं दुःखं अनागतम्**।

5. वैदिक प्रशासन द्वारा शासन, प्रकृति के उन सर्वाधिक मूलभूत नियमों के आधार पर व्यक्ति एवं प्रत्येक समुदाय के पूर्ण विकास के लिए नये नियम बनायेगी, जो तन–मन को प्रफुल्लित करते हैं जो पंच महाभूतों में विकसित होते हैं, जो पदार्थ रूप सृष्टि में दृष्टिगत होते है। जागृत चेतना का यह मौलिक क्षेत्र–प्रकृति के समस्त नियमों का जीवंत केन्द्र होने से सृष्टि का आधार होने से, एक मात्र क्षेत्र है जहाँ से विधानों के समस्त पोषणकारी

MAHARISHI ASHRAM

विशेषताओं को जीवन के समस्त क्षेत्रों में जीवंत किया जा सकता है। वैदिक प्रशासन की नीतियां एवं कार्यक्रम अपनी शक्ति एवं पोषणकारी प्राधिकार–प्राकृतिक विधानों की अनंत संगठनात्मक शक्ति से प्राप्त करेंगे।

महर्षि आश्रम की गेझा ग्राम मे स्थिति उपरोक्त जमीन में से 20 एकड़ भूमि का आवंटन महर्षि वेद विज्ञान भवन केन्द्र की स्थापना किये जाने हेतु की गयी है जिसके अन्तर्गत प्रभारी कार्यालय, अध्ययन हेतु बने हुए 40 कमरों की व्यवस्था, पुस्तकालय, वैदिक विद्वान/प्रोफेसर/शोधकर्त्ताओं एवं प्रशिक्षणार्थियों के रहने की व्यवस्था इत्यादि किये जाने की योजना है।

ज. **महर्षि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्थापत्यवेद–वास्तु शास्त्र**

महर्षि आश्रम की गेझा ग्राम मे स्थिति उपरोक्त जमीन में से 20 एकड़ भूमि का आवंटन महर्षि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्थापत्यवेद की स्थापना किये जाने हेतु की गयी है जिसके अन्तर्गत कुलाधिपति का कार्यालय, प्रभारी कार्यालय, अध्ययन हेतु बने हुए 40 कमरों की व्यवस्था, पुस्तकालय, प्रोफेसर/शोधकर्त्ताओं एवं विद्यार्थियो के रहने की व्यवस्था इत्यादि किये जाने की योजना है।

इस विश्व विद्यालय का उद्देश्य महान प्राचीन ज्ञान का समग्र एवं व्यापक रूप से अध्ययन करना और महर्षि स्थापत्यवेद–वास्तु शास्त्र का आधुनिक विज्ञान एवं तकनीकी के सन्दर्भ में पुर्नजीवित और स्थापित करना है।

झ. **महर्षि सूचना प्रौद्यौगिकी विश्वविद्यालय**

महर्षि आश्रम की गेझा ग्राम मे स्थिति जमीन में से 48 एकड़ भूमि का आवंटन महर्षि सूचना प्रौद्यौगिकी विश्वविद्यालय के नोएडा स्थिति परिसर की स्थापना किये जाने हेतु निर्णय लिया गया है। जिसके अन्तर्गत महर्षि ला स्कूल, स्कूल ऑफ एनिमेशन, स्कूल ऑफ टेक्नालॉजी तथा पत्रकारिता एवं मास कम्यूनिकेशन के पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं तथा अनेक अन्य पाठ्यक्रम खोले जाने की योजना भी बनायी गयी है।

महर्षि सूचना प्रौद्यौगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 के अन्तर्गत 2001 में की गयी है।

MAHARISHI ASHRAM

ञ. महर्षि कौशल विकास केन्द्र

महर्षि आश्रम की गेझा ग्राम मे स्थिति उपरोक्त जमीन में से 15 एकड़ भूमि का आवंटन महर्षि कौशल विकास केन्द्र की स्थापना किये जाने हेतु निर्णय लिया गया है। जिसके अन्तर्गत कार्यालय, प्रभारी कार्यालय, प्रशिक्षण हेतु तथा अध्ययन करने हेतु बने हुए 40 कमरों की व्यवस्था, पुस्तकालय, प्रोफेसर/शोधकर्त्ताओं एवं विद्यार्थियो के रहने की व्यवस्था इत्यादि किये जाने की योजना है।

अतः हमारी संस्था के द्वारा महर्षि आश्रम परिसर में वर्तमान में संचालित एवं भविष्य में संचालित किये जाने वाली योजनाओं के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह परिसर प्राचीन वैदिक विद्या एवं आधुनिक विद्या के प्रचार–प्रसार का एक अनुपम केन्द्र है तथा ऐसे केन्द्रों की स्थापना किये जाने से ही एक आदर्श समाज की स्थापना की जा सकती है।

यह भी उल्लेखनीय है कि हमारी संस्था के द्वारा राष्ट्रीय तथा प्रादेशिक शासन के द्वारा पारित किये गये सभी नियमों का अक्षरशः पालन किया जाता है तथा कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जाता है कि जिससे नियमों का उल्लंघन हो।

अतः यह स्पष्ट है कि ए.टी.एस. वन हेमलेट अपार्टमेन्ट ओनर्स एसोसिएशन के द्वारा मात्र दुर्भावनापूर्ण आशय से हमारे आश्रम की शिकायत राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में की गयी है जिसका कोई आधार नहीं हैं।

सधन्यवाद,

कृते **महर्षि आश्रम**

MAHARISHI ASHRAM

राहुल भारद्वाज
अध्यक्ष

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

Plot 208

बैनामा 42000/- स्टाम्प 3150/- का। विक्रय सम्पत्ति - तीन बीघा [illegible]
पाँच बिस्वांसी पुख्ता यानी 17.50 एयर वाके ग्राम भंगेल बेगमपुर [illegible]
तहसील दादरी जिला गाजियाबाद। स्टाम्प [illegible]
अदा किया जा रहा है। विक्रेता अनुसूचित एवं जनजाति से नहीं है।

हम कि गोपी पुत्र छुट्टन व बिहारीसिंह पुत्र बल्लू व राजे पुत्र [illegible] निवासी
मौ. खेली प. जिला पर सुकूनती के हैं।

विदित हो कि ग्राम भंगेल बेगमपुर परगना व तहसील दादरी जिला गाजियाबाद के खाता नम्बर 208 रकबई तीन बीघा पांच बिस्वा सी बिस्वांसी पुख्ता यानी 17.50 एयर वेहम विक्रेतागण [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

(2)

बकाया व बैंक लोन आदि में ग्रस्त नहीं है। अतः अब भूमि उपरोक्त को अपने स्वामित्व अधिकारों सहित अपनी अपनी समस्त शुध्दबुध्दि व समस्त स्वास्थ्य हालतों के बदले लेकर 42000) बयालीस हजार रुपया में हाथ महाबीर प्रधान पिता पी० एल० पी० द्वारा जे० जी० महापात्रा पुत्र श्री पी० महापात्रा म०09 डिफेन्स कालोनी नई दिल्ली के नाम बई कर दिया और बेच दिया व प्रधान नक्सामवाली एक रजिस्टर कोटा दादरी वसूल पा लिया है कुछ बाकी नहीं रहा है अब बयानामे के पर क्रेता का कर दिया।

अब क्रेतागण को भूमि कापूर्ण स्वामी स्वामित्व हो गया है वह उसे जिस प्रकार चाहे अपने प्रयोग व इस्तेमाल में लाकर लाभ उठावे दाखिल खारिज बनाम क्रेता करा लेवा व बरना बैनामा द्वारा क्रेता कब्जा करा देगा। अब क्रेतागण भूमि में कापूर्ण स्वामित्व हो गया है वह उसे जिस प्रकार चाहे अपने प्रयोग इस्तेमाल में लाकर लाभ उठावे।

अगर बाबत ... की ... है या ... नहीं ...

सारी ... के ... [illegible]

(3)

विक्रयपत्र की वापसी या अन्य किसी वादविवाद कानूनी के हिसाब से जिम्मेदार रहूँगा।
अदायगी के निष्पादन की समस्त जिम्मेदार रहेगी। अतः यह ...
कई लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। इति

नि० पहलाद पुत्र ... निगम
दलीपसिंह पुत्र ... सिकन्दराबाद

दिनांक 28-8-79 ई० को दिया

(समरसिंह नागरवाल)

28.8.79

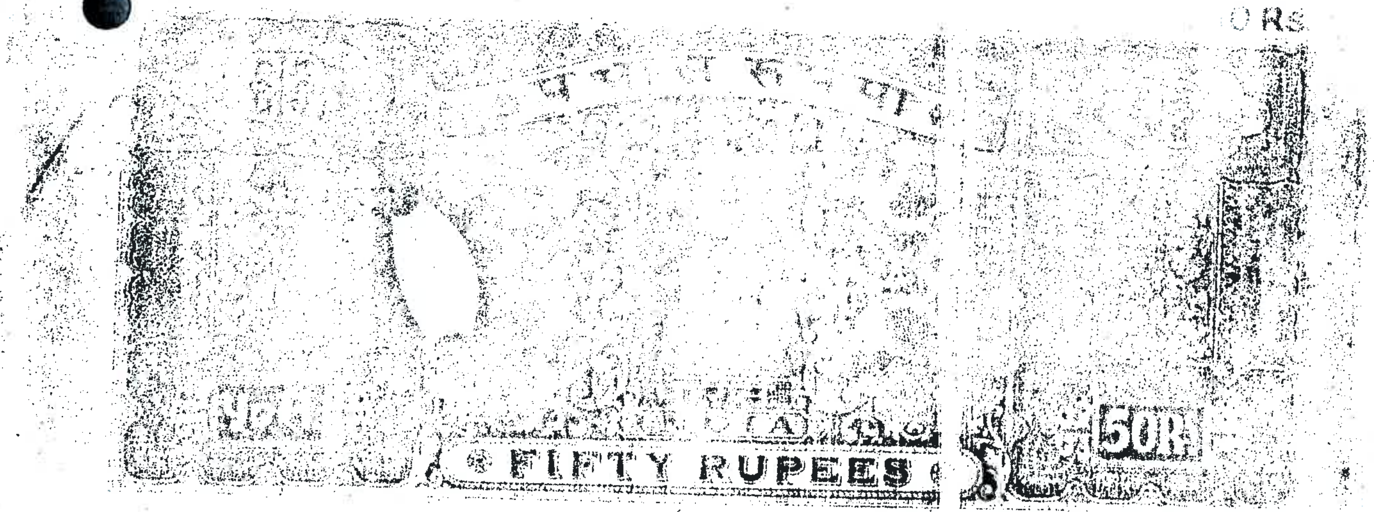

(3)

अतः यह बैनामा बखूबी लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

नि० पहलाद पुत्र बादाम निशानी

गवाह ... सिंह पुत्र ...
ग्राम ... तिलपताबाद

दिनांक 28 ... ई० ...

(सागर सिंह नागर आर्य)

स्टाम्प विक्रेता का नाम ...
अनुज्ञप्ति सं० 8 वि० 3/-5/100
ग्राम दादरी जिला गाजियाबाद
मो० आई० डी० न० 52/...
हस्ताक्षर विक्रेता ...
28-8-79

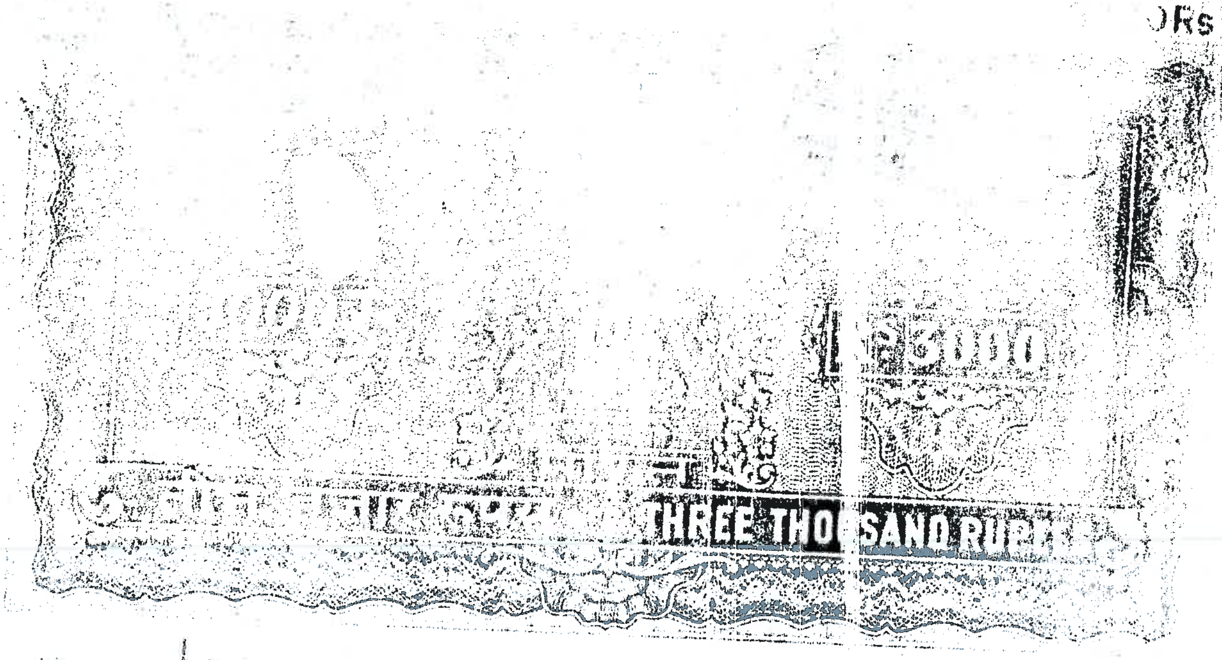

मालियत 42000/- स्टाम्प 3150/- का। विक्रयस्थल - तीन बिस्वा [illegible]
[illegible] बिस्वांसी पुख्ता यानी 17-50 वर्ग गज वाके ग्राम भंगेल बेगमपुर परगना [illegible]
तहसील दादरी जिला गाजियाबाद। स्टाम्प [illegible]
अदा किया जा रहा है। विक्रेता अनुसूचित एवं जनजाति से नहीं है।

हम कि गोपी पुत्र छिद्दन व बिहारी सिंह पुत्र बल्लू व राजे पुत्र मल्लू निवासी मौजावली फाजिलपुर सूबा देहली के हैं।

विदित हो कि ग्राम भंगेल बेगमपुर परगना व तहसील दादरी जिला गाजियाबाद के खाता नम्बर 208 रकबई तीन बिस्वा [illegible] बिस्वांसी पुख्ता यानी 17-50 वर्ग गज बेहम विक्रेतागण [illegible] मालिकान [illegible]
[illegible]

100Rs.

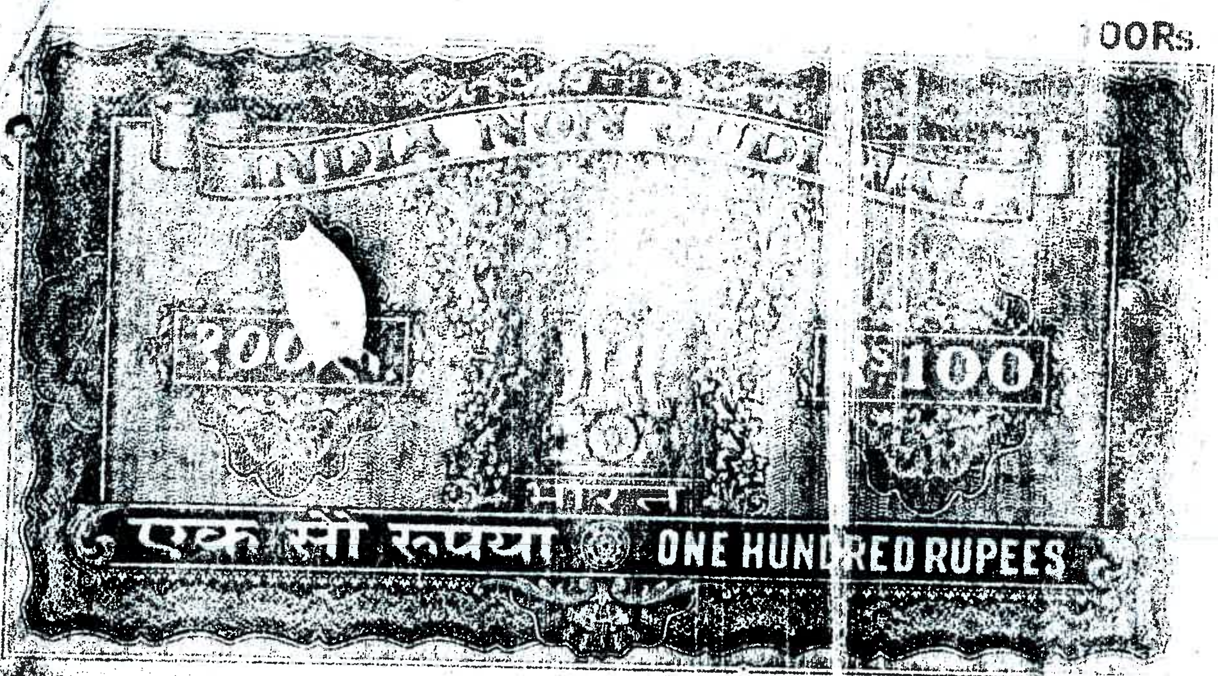

(2)

को अपनी समस्त शुद्धावाध्द बन्धक्यउजान्ध्यों के बदले अंकन 42000) बयालीस हजार

रुपया में हाथ श्री महर्षि ध्यान विद्यापीठ यू०पी० द्वारा श्री ए० जी० मा...

पुत्र श्री पी० महापात्रा ई09 डिफेन्स कॉलोनी नई दिल्ली के बयक्तई करदिया और ...

कुल विक्रयधन नकदसमक्ष श्री सब रजिस्ट्रार मौजूद दरी वसूलपालिया है ...

रहा हकजायज के परक्रेताका करादिया है दाखिल खारिज बहक क्रेता करादिया जावेगा

बरना बैनामा द्वारा क्रेता खुद करा लेगा। अब क्रेता इस विक्रयभूमि का पूर्णरूप स्वामी

हो गया है वह उसे जिसप्रकार चाहे उपभोग मालिकाना में लाकर लाभ उठावे।

अगर बवजह बेदस्तलक की हम विक्रेतागण के या बदावेदारी हमारे किसी शरीक व

शरीक के विक्रय भूमि कब्जे क्रेता से निकल जावेगी तो ऐसी दशा में विक्रेता क्रेता

विक्रयधन की वापसी के मय हर्जा व खर्चा व सूद कानूनी के हिसाब से जिम्मेदार रहेंगे।

अदायगी के लिये मौकरान की चल अचल सम्पत्ति हर किस्म जिम्मेदार रहेगी।

(3)

विक्रयपत्र की वापसी या मध्यवर्ती कार्यवाही कानूनी के लिए मैं जिम्मेदार... । अदायगी के निष्पादन की कमी का सम्पत्ति जिम्मेदार रहेगी। अतः यह नामा कराई लिखा दिया प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। इति

ह० नि० पहलाद पुत्र ... नि० ...   ह० बलदेवासिंह पुत्र ... सिकन्दराबाद

दिनांक 28-8-79 ई० टाईप किया

(समरसिंह नागर आर्य)

28.8.79

2000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

२000रु.   Rs 2000

भारत

दो हज़ार रुपये   TWO THOUSAND RUPEES

बैनामा 39,525/=   स्टाम्प 3000/=

विक्रय सम्पत्ति- तीन बीघा सत्रह बिस्वा दस बिस्वांसी पुख्ता 17-90 सालाना वाके ग्राम भागेल बेगमपुर परगना व तहसील दादरी जिला गाजियाबाद।

बैनामा हाजा पर अधिकतम रेट पर स्टाम्प अदा किया जा रहा है।

विक्रेता अनुसूचित एवं जनजाति से नहीं है।

हम कि मंगत व हरीराम व हरपत पुत्रगण हुकम सिंह व मुनीराम पुत्र गोरधन व राजेन्दर व ज्ञानचन्द व ओमवीर व श्यामवीर बालिगान व जगदीश ना०बा० उम्र 16 साल व सतीश ना०बा० उम्र 14 साल पुत्रगण पूरीराम वली व संरक्षक मुकेशवती माता स्वयं व रामपाल व लखीचन्द व किरनपाल पुत्रगण मीरसिंह निवासी हाजीपुर डा० बराला परगना व तहसील दादरी जिला गाजियाबाद के हैं।

विदित हो कि ग्राम भागेल बेगमपुर परगना व तहसील दादरी जिला गाजियाबाद में खाता नं० 128 खेत नम्बर 226/3-17-10 तीन बीघा सत्रह बिस्वा दस बिस्वांसी पुख्ता लगानी 17-90 सालाना के हम तन्हा मालकान मालिक व काबिज हैं और जो आज की तारीख तक हर प्रकार के कर्ज आदि से पाक व साफ है जिसको विक्रय आदि करने की बाबत भी हमको पूरा हक हासिल है लिहाजा अब हमने अपने सम्पूर्ण अधिकार सहित अंकन 39,525/= उन्तालिस

(3) 1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs1000

भारत

एक हज़ार रूपये ONE THOUSAND RUPEES

[2]

हजार पांच सौ पच्चीस रुपया मैं इसी समय से हाथ महर्षि आयुर्वेद प्रतिष्ठान ई09 डिफेंस कालोनी नई देहली द्वारा श्री संत शेरगिल पुत्र श्री करनैल सिंह निवासी देहली उक्त को बेच दी और कतई बय कर दी है । कुल विक्रीधन इस भांति प्राप्त किया कि अंकन 525/=नकद व अंकन 39000/= बजरिये चैक नम्बरी 424583 स्टेट बैंक दादरी दिनांक 14-12-79 का नकद समक्ष सब रजिस्ट्रार साहब दादरी के प्राप्त कर लिया है कोई पैसा बाकी नहीं रहा है कब्जा मौके पर क्रेता का करा दिया है अब क्रेता को हक होगा कि वह आराजी उक्त से चाहे जिस प्रकार से मालकाना लाभ उठावे या काश्त करे या किसी अन्य को विक्रय आदि करे दाखिल खारिज बहक क्रेता के करा देंगे या वह बजरिये बैनामा के स्वयं करा ले यदि विक्रय भूमि कुल या जुज किसी भी नुक्स कानूनी या वाकाती के कारण से कब्जे क्रेता से निकल जावे तो उस सूरत मे क्रेता को हक होगा कि वह अपना कुल रुपया मय सूद व खर्चे सहित हमसे व हमारे वारसान से अथवा हमारी चल व अचल सम्पति से चाहे जिस प्रकार से वसूल करले अत यह बैनामा कतई लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे

इति

दिनांक 14-12-79 ह० टाइप कर्ता

(समर सिंह नागर आर्य)

14.12.79

126 (227) 4614 1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs1000

भारत

एक हज़ार रूपये ONE THOUSAND RUPEES

बैनामा 19380/-रू0 स्टाम्प 1463/-रू0का

बिक्रयसम्पति - एक बीघा अठारह बिस्वे पुख्ता लगानी 8-80

सालाना वाके ग्राम भ गैल बेगमपुर परगना व तहसील दादरी

जिला गाजियाबाद ।

बैनामा हाजा पर अधिकतम् रेट पर स्टाम्प अदा किया है।

बिक्रेताअनुसूचित एवं जनजाति से नहीं है ।

हम 1 मंगत व 2 हरीराम व 3 हरपत पुत्रगण हुकमसिंह व 4 मुनीराम पुत्र

5 गोरधान व राजेन्द्र 6 व ज्ञानचन्द 7 वओमबीर 8 व श्यामबीर बालिगान

§2§

व जगदीश ना0बा0 उम्र 16 साल व सतीश ना0बा0 उम्र 14 साल पुत्रगण

पुरीराम वलि व संरक्षिका मु0 केशवती माता खुद व रामपाल व

लखीचन्द किरनपाल पुत्रगण मीरसिंह निवासी हाजीपुर डा0बरौला

परगना व तहसील दादरी जिला गाजियाबाद के है ।

विदित हो कि ग्राम भोलबेगमपुर परगना व तहसील दादरी जिला गाजियाबाद

के खाता न0 49 खेत न0 226 रकबई एक बीघाअठारह बिस्वे पुख्ता के

हम बिक्रेतागण तन्हा मालिकाना मालिक व काबिज है जो आज तक हमारे

और स प्रत्येकप्रकार के भ ारबन्धक से सुरक्षित है । अत : अब भूमि उपरोक्त

को अपनेसमस्त स्वामित्वअधिकारो सहित अपनी अपनी समस्त शुद्ध बुद्धि

(6)

UTTAR PRADESH 200 Rs.

§3§

व समस्त स्वस्थ इन्द्रियों के बिलाकिसी दबाव व बहकाव प्रसन्न चित के साथ आज की बाजारी कीमत में बदले अंकन 19380/- उन्नीसहजार तीनसौ अस्सी रूपया में हाथ महर्षि आयुर्वेद प्रतिष्ठान ई09 डिफेन्स कालोनी नई दिल्ली द्वारा श्री सन्तशोर गिल पुत्रश्री करनलसिंह निवासी ई09 डिफेन्स कालोनी नई दिल्ली के बय कतई करदिया और बेच दिया कुलबिक्रयधन इस प्रकार प्राप्त किया कि अंकन 2380/-रू0 नकद समक्ष श्रीसब रजिस्टार व अंकन 17000/-रू0 द्वारा चैक नम्बरी 424582 स्टेट बैंक औफइण्डिया दादरी

(2)

60 Rs.

(4)

ता० 14-12-79 का नदसमक्ष श्री सबरजिस्टार महोदय दादरी वसूल

पा लिया हमको बाकी नही रहा है कब्जा मौकेपर क्रेता को करादिया है

दाखिल खारिज बहक क्रेता करादिया जावेगा वरना बैनामा द्वारा

क्रेता स्वयं करा लेगा। अब क्रेता इसविक्रय भूमि कापूर्णरूप सेस्वामी हो

गया हरतरह से जिसप्रकार चाहे अपनेप्रयोग मालिकाना में लावे लाभ

उठावे या बेचे। अगरउसकाह बेदस्तहतको हम विक्रेतागण के यावदावेदारो

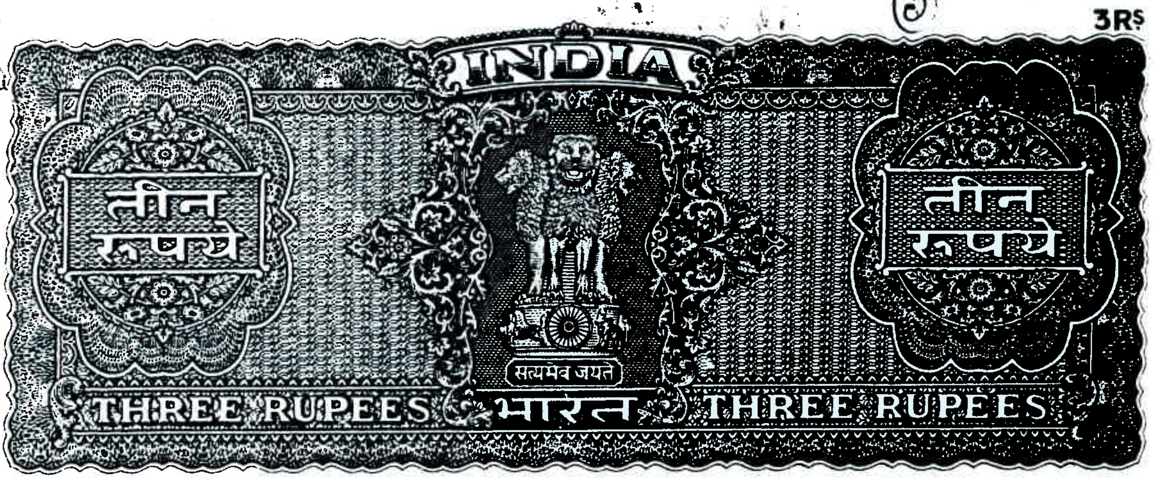

{5}

हमारे किसी शाहोम व शारीक के बिक्रय भूमि कब्जेक्रेता से निकल जावेगी

तो ऐसी दशा में विक्रेतागुलबिक्रयधन की वापसी के मयसूद कानूनी के

हिसाबसे जिम्मेदार रहेंगे। अत: यह बैनामा ततई लिख दिया किप्रमाण

रहे और समय पर काम आवे। इति

ग Keshri Singh S/o Nepal Singh R/o Hazi Pur

ग नि० रछपाल पुत्र देवी सहाय

दि0 14-12-79ई0टाईपकिया

{समरसिंह सागरआर्य}

14.12.79

3322

500Rs.

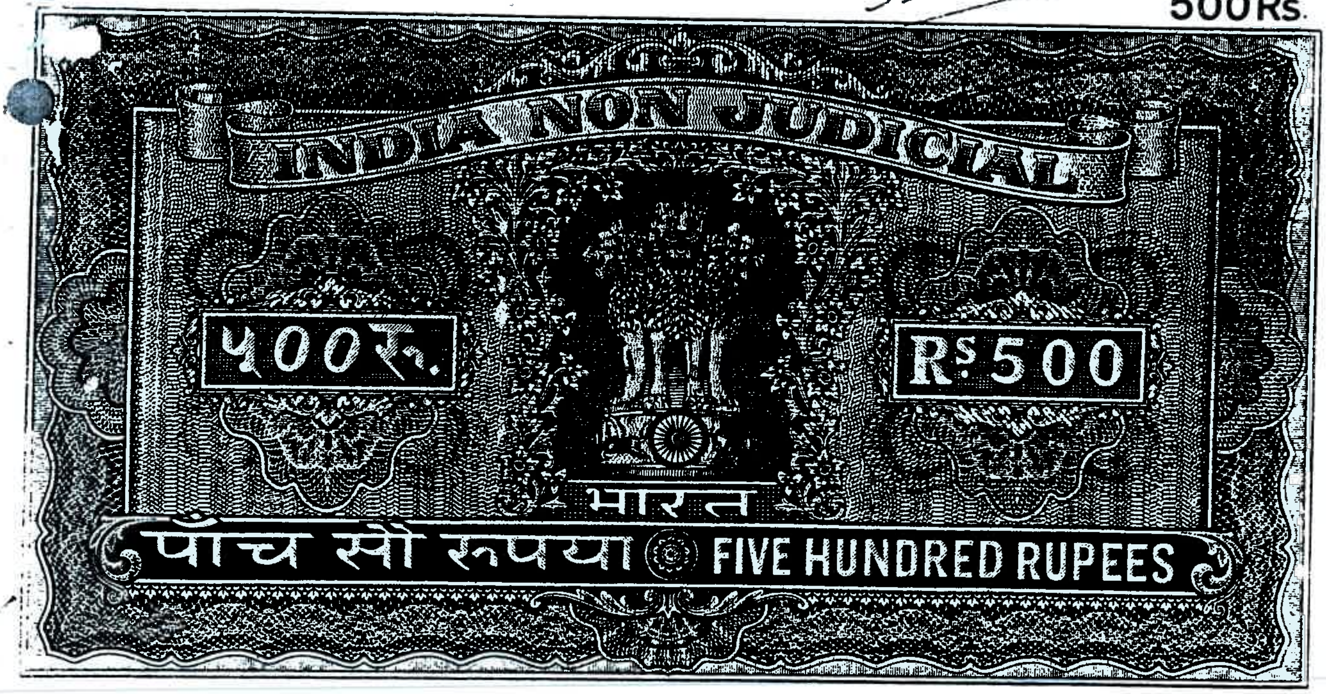

I|21

बैनामा 7200/- स्टाम्प 563/- का ।

विक्रय सम्पत्ति - बारह बिस्वे पुख्ता लगानी 2-81 पैसे सालाना वाके ग्राम

भंगेल बेगमपुर परगना व तहसील दादरी जिला गाजियाबाद ।

स्टाम्प अधिकतम रेट से भी अधिक पर दिया जा रहा है ।

विक्रेता अनूसूचित एवं जनजाति से नही है ।

मैं श्री ननदत्त पुत्र श्री अचल निवासी भंगेल बेगमपुर डा० खेड़ा परगना व

तहसील दादरी जिला गाजियाबाद का हूँ

विदित हो कि ग्राम भंगेलबेगमपुर परगना व तहसील दादरी जिला

गाजियाबाद के खाता नं० 118 खेत नम्बर 201 बारह बिस्वा पुख्ता

लगानी 2-81 सालाना का विक्रेता तन्हा मालिक वकाबिज है जो आज तक

[illegible] 5

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7200/-	86/-	3/-	91/-	700

श्री [illegible]

[illegible]

[illegible] तह- [illegible]

[illegible] में आज

दिनांक 29/8/79 समय मध्य 3 बजे

बजे दिन के प्रस्तुत किया।

[illegible]

29-8-1979

Rs. 7200/-

[illegible]

श्री/श्रीमती [illegible]

ने स्वीकार किया।

पहिचान प्रतिज्ञ की श्री [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

निवासी [illegible] तह- [illegible]

ने की [illegible] दि. 29/8/79

[illegible]

50 Rs.

(2)

मेरी ओर से प्रत्येक प्रकार के भारबन्धक से सुरक्षित हर्न्याक्सिस्थान पर

आडरहेन आदि में ग्रस्त नही है अतः अब भूमि उपरोक्त को अपने समस्त

स्वामित्वअधिकारों सहित अपनी समस्त शुध्दबुध्दि व स्वस्थइन्द्रियों के

बदले अंकन 7200/- सात हजार हजार दोसो रुपया में हाथश्री महर्षि

ध्यान विध्यापीठ यू0पी0 द्वारा डा0 जी0 महापात्रा पुत्रश्री पी0

महापात्रा निवासी ई0 9 डिफेन्स कालोनी नई दिल्ली के बय कतई कर दिया

और बेच दिया कुलविक्रयधन नक्द समक्ष श्री सब रजिस्ट्रार महोदय दादरी

वसूल पालिया है कुछ बाकी नही रहा है कब्जा मौके पर क्रेता को करा

दिया गया है दाखिल खारिज बहक क्रेता करा दिया जावेगा वरना बैन म

1370 · 20/8/79

1369

उपरोक्त [illegible] अंगूठा गवाहान
[illegible]
[illegible] प्रतीत होते है

29/8/79

10 Rs.

दस रुपया

१०रु. भारत INDIA 10RS.

TEN RUPEES

(3)

द्वारा क्रेता खुद करा लाअल क्रेता इसविक्रय भूमि कापूर्णरुप सेस्वामी हो

गया हैवह उसे जिसप्रकार चाहे अपनेप्रयोग मालिकाना मे लाकर लाभ उठावे

मुझविकर को कोई आपत्तिनही होगी। अगरबवजह बेदस्तहकाकी मुझविक्रेता

के या बदावेदारी मेरे किसी शहीम व शरीक के विक्रय भूमि कब्जेक्रेता से

निकल जावेगी तो ऐसी दशा मे विक्रेता कुलविक्रयधान की वापसी का मय

सूद कानूनी के हिसाबसे जिम्मेदार रहेगाअदायगी के लिये मुझविकर की चल अचल

सम्पत्ति जिम्मेदार रहेगी कुछउज्रनही होगा। अत: यह बैनामा कतई लिखा

1371 20/3

13-69

3RS

INDIA

तीन रुपये तीन रुपये

सत्यमेव जयते

THREE RUPEES भारत THREE RUPEES

(4)

दिया क्रिमाणरहे और समय पर काम आवे। इति

दिनांक 29 8 7080 ई०पी०वर्षा
(समरसिंह नागर आर्य)

दस्तावेज लेखक का नाम कैलास अग्रवाल
अनुज्ञप्ति सं 8 दि० 31/3/80 तक विमान्य
जिला स्थान दादरी गाजियाबाद
ली गई फीस 20/-
दस्तावेज लेखक के हस्ताक्षर

29.8.79

आ० 1332 - 20/9/79 (उ.)

1369

पंजी

दि.

फिर
2/11/79

उक्तादेश नं० I मिशल सं० पौराण 5525/5230 में गजट 3322 पर

आज ता० 26/9/79 रजिस्ट्री की गई

त. र.

39

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग, गौतमबुद्धनगर।

पत्रांकः 133 /29–1, गौतमबुद्धनगर दिनांक 10 –07–2023।

सेवा में

प्रबन्धक,
महर्षि आश्रम,
महर्षि नगर, जिला गौतमबुद्धनगर।

विषयः– पौध उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।
सन्दर्भः– आपका पत्र दिनांक 30.06.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं सन्दर्भित पत्र के क्रम में वर्ष 2023–24 वृक्षारोपण हेतु आपकी मांग के अनुसार 1000 पौधे निम्नलिखित पौधशाला से प्राप्त करने का कष्ट करें तथा वृक्षारोपण कराकर सूचना निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराने का कष्ट करें:–

क्र0सं0	पौधशाला का नाम	पौधशाला प्रभारी का नाम	मोबाइल नं0	पौध संख्या
1	सूरजपुर पौधशाला	श्री रामअवतार, वन दरोगा	9654432207	1000

सूचना हेतु प्रारूप

क्र0सं0	विभाग / संस्था का नाम	वृक्षारोपण स्थल का नाम	रोपित किये गये पौधों की संख्या	नाम, पद व हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
	योगः–			

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग
गौतमबुद्धनगर।

पत्रॉक 133 / , दिनॉकित।

प्रतिलिपिः–

1. निदेशक (उद्यान), नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी, दादरी रेंज को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि वर्ष 2023–24 वृक्षारोपण हेतु उपरोक्तानुसार पौध निःशुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग गौतमबुद्धनगर ।
पत्रॉक 167/2–1 गौतमबुद्धनगर दिनॉक 05–07–2024 ।

सेवा मे,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदेषण नियन्त्रण बोर्ड,
नोएडा।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 332/2024 ATS One Hamlet Apartment Owner Association Vs. Government of Uttar Pradesh & ors. में पारित आदेश दिनांक 03–04–2024

संदर्भः– आपके कार्यालय का पत्रांक 244/2–192/24 दिनांक 19–06–2024

महोदय

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयक पत्र के माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 332/2024 ATS One Hamlet Apartment Owner Association Vs. Government of Uttar Pradesh & ors. में पारित आदेश दिनांक 03–04–2024 के अनुपालन में शिकायत महर्षि योगी आश्रम ट्रस्ट, महर्षि नगर, सेक्टर–110 नोएडा द्वारा अवैध रूप से पेड काटने एवं गौतमबुद्धनगर के सेक्टर–104, नोएडा में स्थित ग्रुप हाउसिंग सोसायटी से सटे भूखण्ड पर ग्रीन बेल्ट को नष्ट करने संबंधी जॉच कर कार्यवाही करते हुए आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

इस संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक 7302/35–1 दिनांक 20–06–2024 पॉच सदस्यीय टीम का गठन करते हुए स्थलीय जॉच कर जॉच आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। गठित टीम द्वारा अपनी जॉच आख्या दिनांक 05–07–2024 को उपलब्ध करायी गयी। **(छायाप्रति संलग्न)**

गठित टीम द्वारा अवगत कराया गया कि सेक्टर–104, नोएडा में मौके 0.51 हे0 आश्रम की भूमि पर जे0सी0बी0 के माध्यम से रोड निर्माण करने हेतु विभिन्न प्रजाति के कई वृक्षो का बिना अनुमति पातन किया गया जिसके क्रम में विभागीय कार्यवाही करते हुए वन अपराध सख्या 08/2024–25 इजरा कर वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही कर प्रतिकर रू0 2,00,000.00 प्राप्त किया गया एवं उ0प्र0 अभिवहन नियमावली 1978 की धारा 3/28 में निहित प्राविधानो के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही अमल लाते हुए रू 50000.00 प्राप्त किया गया। कुल प्रतिकर यस बैंक द्वारा जारी डीमाण्ड ड्राफ्ट संख्या 253435 दिनांक 04–07–2024 द्वारा रू0 2,50,000.00 प्राप्त कर जमा कराया गया।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग
गौतमबुद्धनगर ।

पत्रॉक / दिनॉक्ति।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, महोदय गौतमबुद्धनगर की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग
गौतमबुद्धनगर

संयुक्त जॉच रिपोर्ट

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 332/2024 ATS One Hamlet Apartment Owner Association Vs. Government of Uttar Pradesh & ors. में पारित आदेश दिनांक 03-04-2024 एवं प्रभागीय वनाधिकारी,गौतमबुद्धनगर की पत्र संख्या 7302/35-1 दिनांक 20-06-2024 के अनुपालन में शिकायत महर्षि योगी आश्रम ट्रस्ट, महर्षि नगर, सेक्टर-110 नोएडा द्वारा अवैध रूप से पेड काटने एवं गौतमबुद्धनगर के सेक्टर-104, नोएडा में स्थित ग्रुप हाउसिंग सोसायटी से सटे भूखण्ड पर ग्रीन बेल्ट को नष्ट कर उस पर अवैध निर्माण करने की शिकायत पर दिनांक 26-06-2024 को संयुक्त जॉच की गयी। संयुक्त जॉच में ज्ञात हुआ कि सेक्टर-104, नोएडा में मौके 0.51 हे0 आश्रम की भूमि पर जे0सी0बी0 के माध्यम से रोड निर्माण करने हेतु मुख्यतः सूबबूल, प्रोसोपिस ज्यूलीफलोरा, सिरस,नीम, बेल, आम पीपल आदि प्रजाति के कई वृक्षो का बिना अनुमति पातन किया गया, जिसका आकलन उक्त भूमि से सटे स्थल एवं इस खडे वृक्षो मे सैम्पल प्लांटिंग (16X16 मीटर) किया गया। सैपलिंग के आधार पर पातित वृक्षो में से सोलह वृक्ष नीम, एक बेल, दो आम, एक पीपल प्रतिबंधित प्रजाति के पाये गये। उक्त समस्त वृक्ष महर्षि योगी आश्रम ट्रस्ट, महर्षि नगर की निजी भूमि पर स्थित थे।

तत्क्रम विभागीय कार्यवाही करते हुए वन अपराध सख्या 08/2024-25 इजरा कर वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही कर प्रतिकर रू0 2,00,000.00 प्राप्त किया गया एवं उ0प्र0 अभिवहन नियमावली 1978 की धारा 3/28 में निहित प्राविधानो के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही अमल लाते हुए रू 50000.00 प्राप्त किया गया। कुल प्रतिकर यस बैंक द्वारा जारी डीमाण्ड ड्राफ्ट संख्या 253435 दिनांक 04-07-2024 द्वारा रू0 2,50,000.00 प्राप्त कर जमा कराया गया।

अतः रिपोर्ट महोदय की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक-1. भूमि अभिलेख की प्रति।
2. प्रतिकर प्राप्त करने संबंधी आदेश की प्रति।
3. फोटोग्राफ।

Ananika
(ANANIKA)
RFO, Dadri

05/07/2024
RFO-CC.

5/7/24
PRASHANT KUMAR
VAN DAROGA

05/07/2024
(P.P. Singh)
U.P. Pollution Control Board
NOIDA

पत्रॉक / दिनॉक्ति।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, दादरी रेंज ई–1 सैक्टर 1 नोएडा।
पत्रॉक १११ /33 –1 दिनॉक २१.04.2024।

वन विभाग, उत्तर प्रदेश

बनाम

ट्रस्टी,
महर्षि आश्रम, सैक्टर–104,
नौएडा।

नोटिस

विषयः– रेंज केस सं0 08/2024–25/दादरी के सम्बन्ध में।

आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा ATS Hamlet सैक्टर–104 के गेट न0–01 के पास सटी हुई महर्षि आश्रम की दीवार के अन्दर महर्षि आश्रम की भूमि पर लगभग 1/2 हैक्टेयर में वृक्षों का अवैध पातन किया गया। जी0पी0एस0 रीडिंग से गूगल अर्थ पर देखने के उपरान्त सामने आया कि उक्त पातन माह मार्च 2024 में बिना अनुमति के किया गया है। जिसका रेंज केस संख्या 08/2024–25/दादरी दिनांक 29.04.2024 को जारी किया गया है ।

इस संबंध में आप दिनांक 03.05.2024 की प्रातः 12.00 बजे क्षेत्रीय वन अधिकारी, दादरी रेंज कार्यालय ई–1, सैक्टर–1, नोएडा में स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें ।

यदि आप या आपका प्रतिनिधि नियत तिथि व नियत स्थान पर अनुपस्थित रहते हैं, आपको दोषी मानते हुए आपके विरूद्व वृक्ष संरक्षण संरक्षण अधिनियम 1976 के प्राविधानों के अनुरूप अन्तिम निर्णय लेकर दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी ।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
दादरी

Scanned with OKEN Scanner

Plot 208

मालियत 42000/- स्टाम्प 3150/- का। विक्रय मय ... [illegible]

... विस्वासी पुख्ता ... 17-50 ... वाके ग्राम भंगेल बेगमपुर परगना ... [illegible]

तहसील दादरी जिला गा. बाद। स्टाम्प ... [illegible]

अदा किया जा रहा है। विक्रेता अनुसूचित एवं जनजाति से नहीं है।

हम कि गोपी पुत्र ... व ... पुत्र ... [illegible] निवासी

... मौजा पर मुनादिहात के है।

विदित हो कि ग्राम भंगेल बेगमपुर परगना व तहसील दादरी जिला गाजियाबाद

के खाता नम्बर 208 रकबाई ... भूमि ... विस्वासी पुख्ता ...

17-50 ... [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(2)

बसीहत व बैंक लोन आदि में ग्रस्त नहीं है। अतः अब भूमि उपरोक्त को अपने [illegible] स्वामी व वारिस सहित अपनी अपनी समस्त शुद्धबुद्धि व समस्त [illegible] के बदले मु० 42000) बयालीस हजार रुपया में उपमहाध्यापक [illegible] पी०कुमार पुत्र जी०महापात्रा पुत्री पी०महापात्र [illegible] [illegible] के हाथ बेच दिया और बेचीया कु० [illegible] [illegible] [illegible] दादरी बसूल पा लिया है कुछ बाकी नहीं रहा है [illegible] परक्रेता को [illegible]।

अब क्रेता [illegible] भूमि का पूर्ण स्वामी हो गया है वह उसे जिस प्रकार चाहे अपने [illegible] [illegible] में लाकर [illegible] [illegible] [illegible] बतौर [illegible] क्रेता का [illegible] वरना बैनामा द्वारा क्रेता [illegible] करा दिया। अब क्रेता [illegible] व सम्पूर्ण स्वामी हो गया है वह उसे जिसप्रकार चाहे अपनेप्रयोग [illegible] [illegible] [illegible]।

अगर [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible]

पचास रु.

FIFTY RUPEES

50RS

(3)

विक्रयपत्र की नापती वा मालकाना वा वपुद कानूनी के खिलाफ से जिम्मेदार ... । अदायगी के विक्रीकरान की अचल सम्पत्ति जिम्मेदार रहेगी। अतः यह ... कई लिखदिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। इति

दिनांक 28-8-79 ई० को दे दिया

(समक्ष सहि गवाह)

28.8.79

RS

FIFTY RUPEES

50R

(3)

अतः यह बैनामा [illegible] लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। ह०

नि० पहलाद पुत्र बाबाराम
निशानी अंगूठा

गवाह [illegible]
[illegible]

दिनांक 28 [illegible] ई० [illegible]

(सागर [illegible] आर्य)
[illegible]

स्टाम्प विक्रेता का नाम [illegible]
अनुज्ञप्ति सं० 8 दि० 31-3-[illegible]
स्थान तहसील जिला [illegible]
मो० गई ए० म० 52/-
हस्ताक्षर विक्रेता

28-8-71

Rs

THREE THO SAND RUPE

बैनामा 42000/- स्टाम्प 3150/- का। विक्रयस्थान - तीन [illegible]

पर [illegible] पिस्वासी [illegible] 17-50 [illegible] वाके ग्राम [illegible]

तहसील काकरी [illegible] पाद। स्टाम्प [illegible]

अदा किया जा रहा है। विक्रेताअनुसूचित एवं जनजाति से नहीं है।

हम कि गोपी [illegible] व बिहारी [illegible] पुत्र [illegible] पुत्र [illegible]

[illegible] पर मुनादिकती [illegible]।

विदित हो कि ग्राम [illegible] परगना व तहसील काकरी [illegible]

के खाता नम्बर 208 रकबै [illegible] पिस्वासी [illegible]

17-50 [illegible] बेहम [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

100Rs.

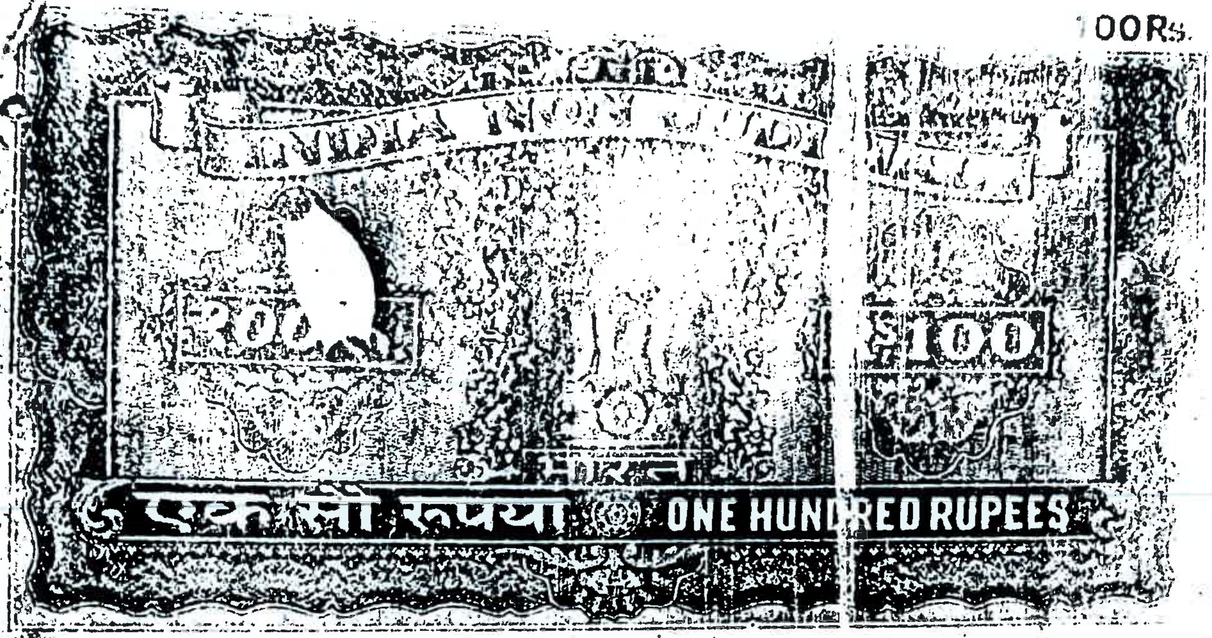

(2)

को अपनी समस्त [illegible] के बदले अंकन 42000) बयालीस हजार

रुपया में [illegible] ध्यान [illegible] द्वारा श्री [illegible]

[illegible] 809 [illegible] के बयवतई करादिया [illegible]

[illegible] रजिस्टार [illegible] वसूलमाल किया है [illegible]

[illegible] हककजाम के परक्रनाका करादिया है दाखिल खारिज [illegible] करादिया जावेगा

बराना बैनामा द्वारा क्रेताखुद करा लेगा। अब क्रेता इसविक्रयभूमि का पूर्णरूप स्वामी

हो गया है वह उसे जिसप्रकार चाहे उपभोग मालिकाना [illegible]।

अगर बवजह बेदस्तखत की [illegible] विक्रेतागण के [illegible] किसी [illegible]

शरीक के विक्रय भूमि [illegible] तो ऐसी दशा में विक्रेता [illegible]

विक्रयधन की वापसी के [illegible] खर्चे एवं कानूनी के हिसाब से जिम्मेदार रहेंगे।

[illegible] के लिए [illegible] जिम्मेदार रहेंगे।

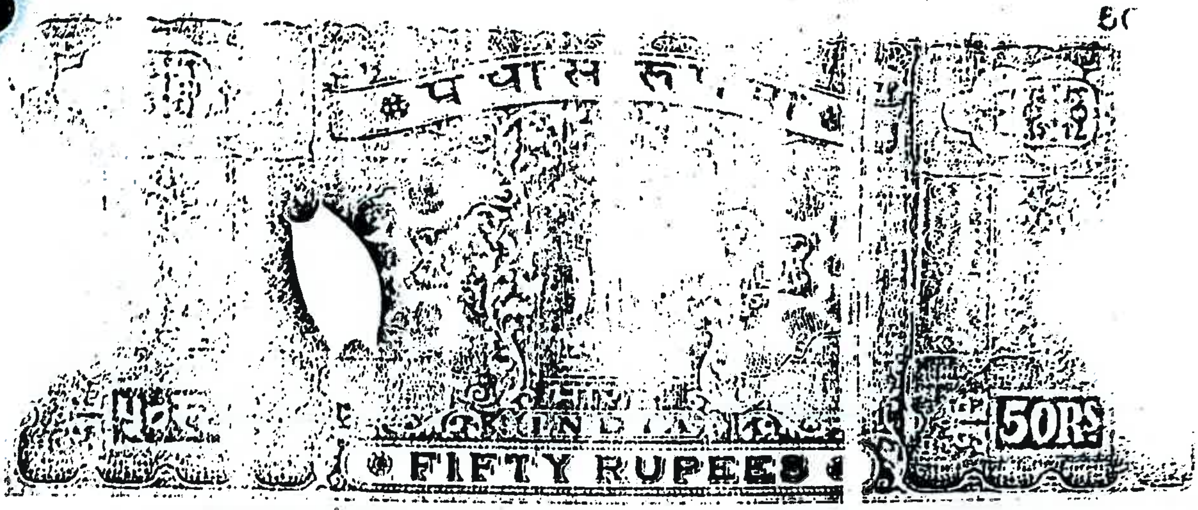

(3)

विज्ञापन की नापैमी व [illegible] कानूनी के हिसाब से जिम्मेदार [illegible]।

अदायगी के [illegible] सम्पत्ति जिम्मेदार रहेगी। अतः यह [illegible]

कर दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। इति

नि० पहलाद [illegible] नि० [illegible]   द० [illegible] नि० [illegible]

दिनांक 28-8-79 ई० को लिख दिया

(समक्ष साक्षीगण गवाह)

[illegible]

28.8.79

2000Rs.

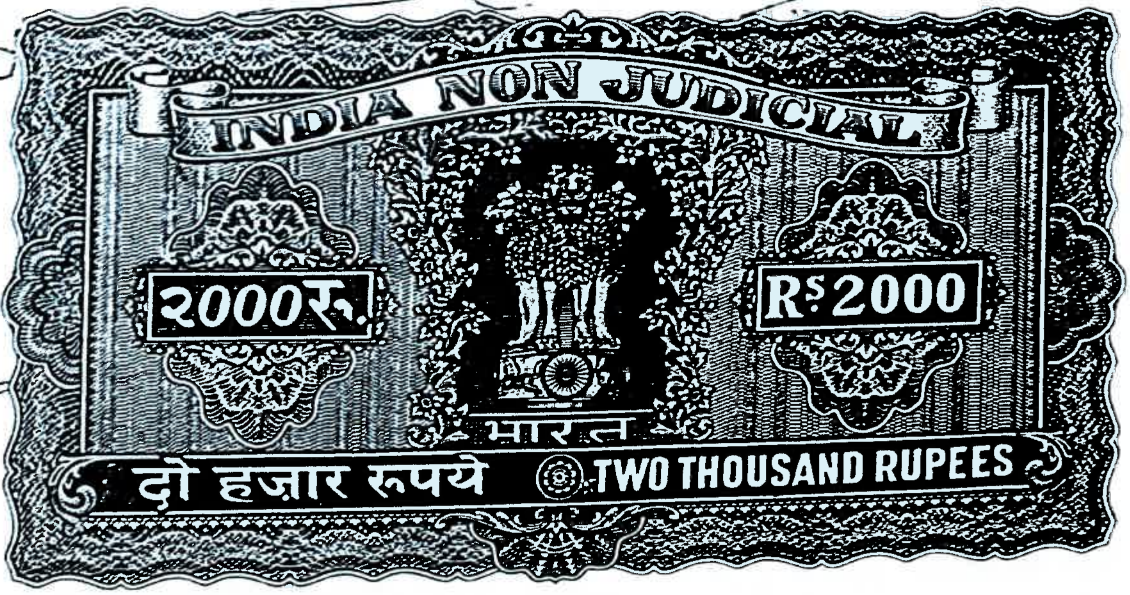

मालियत 39,525/=   स्टाम्प 3000/=

विक्रय सम्पत्ति– तीन कनाल सत्रह मरला दस सरसाही पुख्ता ~~15-50~~ सालाना

वाके ग्राम भागेल बेगमपुर परगना व तहसील दादरी जिला

गाजियाबाद।

मालियत हाजा पर अधिकतम रेट पर स्टाम्प अदा किया जा रहा है।

विक्रेता अनुसूचित एवं जनजाति से नहीं है।

हमकि मदन व हरीराम व हरपाल पुत्रगण हुकम सिंह व मुनीराम पुत्र गोरधन व राजेन्दर व रामचन्द व ओमवीर व श्यामवीर बालिगान व जगदीश ना0बा0 उम्र 16 साल व सतीश ना0बा0 उम्र 14 साल पुत्रगण पूरीराम वली व संरक्षक मुकेश्वती माता स्वयं व रामपाल व लखीचन्द व किशनपाल पुत्रगण मीरसिंह निवासी हाजीपुर डा0 बराला परगना व तहसील दादरी जिला गाजियाबाद के है।

विदित हो कि ग्राम भागेल बेगमपुर परगना व तहसील दादरी जिला गाजियाबाद के खाता सं0 128 खेत नम्बर 226/3-17-10 तीन कनाल सत्रह मरला दस सरसाही पुख्ता लगानी 17-90 सालाना के हम तन्हा मालकान मालिक व काबिज है और आज की तारीख तक हर प्रकार के कर्ज आदि से पाक व साफ है जायदाद विक्रय आदि करने की बाबत भी हमको पूरा हक हासिल है लिहाजा अब हमने अपने सम्पूर्ण अधिकार सहित अंकन 39,525/= उन्तालिस

1000Rs.

(2)

हजार पांच सौ पच्चीस रुपया मे इसी समय से हाथ महर्षि आयुर्वेद
प्रतिष्ठान ई-09 डिफेंस कालोनी नई देहली द्वारा श्री संत शरणसिंह पुत्र श्री
करमसिंह निवासी देहली उक्त को बेच दी और कतई बय कर दी है।
कुल विक्रीधन इस भांति प्राप्त किया कि अंकन 525/= नकद व अंकन
39000/= बजरिये चैक नम्बरी 424583 स्टेट बैंक दादरी दिनांक 14-12-79
का नकद समक्ष सब रजिस्ट्रार साहब दादरी के प्राप्त कर लिया है कोई
पैसा बाकी नहीं रहा है कब्जा मौके पर क्रेता को करा दिया है अब क्रेता
को हक होगा कि वह आराजी उक्त से चाहे जिस प्रकार से मालकाना
लाभ उठावे या काश्त करे या किसी अन्य को विक्रय आदि करे दाखिल
खारिज वहक क्रेता के करा देंगे या वह बजरिये बैनामा के स्वयं करा ले
यदि विक्रय भूमि कुल या जुज किसी भी नुक्स कानूनी या बाकाती के
कारण से कब्जे क्रेता से निकल जावे तो उस सूरत मे क्रेता को हक होगा
कि वह अपना कुल रुपया मय सूद व हर्जे सहित हमसे व हमारे वारसान से
अथवा हमारी चल व अचल सम्पत्ति से चाहे जिस प्रकार से वसूल कर ले अत
यह बैनामा कतई लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे

इति

दिनांक 14-12-79

समरसिंह नागर अर्जी

14.12.79

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

बैनामा 19380/-रू0 स्टाम्प 1463/-रू0का

विक्रयसम्पत्ति - एक बीघा अठारह बिस्वे पुख्ता लगानी 0-80

सालाना वाके ग्राम भ गेल बंगमदुर परगना व तहसील दादरी

जिला गाजियाबाद ।

बैनामा हाजा पर अधिनियम रेट पर स्टाम्प अदा किया है।

विक्रेता अनूसूचित एवं जनजाति से नहीं है ।

हम मंगत व हरीराम व हरपत पुत्रगण हुकमसिंह व धनीराम पुत्र

गोरधन व राजेन्द्र व ज्ञानचन्द व ओमबीर व श्यामबीर बालिगान

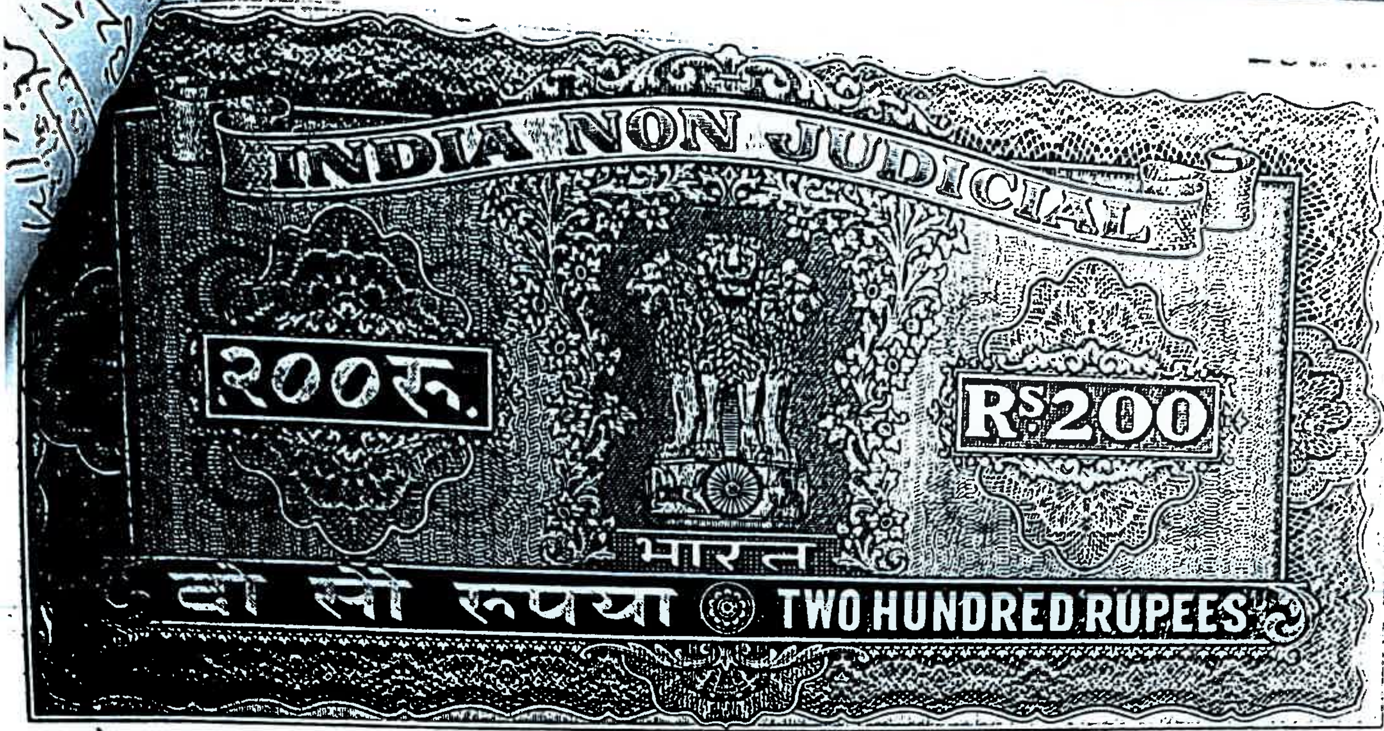

§2§

व जगदीश ना0बा0 उम्र 16 साल क्षतीश ना0बा0 उम्र 14 साल पुत्रगण

पुरीराम वलि क्षरक्षिका मु0 केशोवती माता खुद व रामपाल व

लखीचन्द किरनपाल पुत्रगण मीरसिंह निवासी हाजीपुर डा0बरौला

परगना व तहसील दादरी जिला गाजियाबाद के है ।

विदित हो कि ग्राम भोलबेगमपुर परगना व तहसील दादरी जिला गाजियाबाद

के खाता न0 41 खेत न0 226 रकबई एक बीघा अठारह बिस्वे पुख्ता के

हम विक्रेतागण तन्हा मालिकाना मालिक व काबिज है जो आज तक हमारी

और स प्रत्येकप्रकार के भारबन्धक से सुरक्षित है । अत : अब भूमि उपरोक्त

को अपनेसमस्त स्वामित्वअधिकारों सहित अपनी अपनी समस्त शुद्ध बुद्धि

UTTAR PRADESH

200 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

२००रू.

Rs 200

भारत

दो सौ रूपया TWO HUNDRED RUPEES

‖3‖

व समस्त स्वस्थ इन्द्रियों के बिलाकिसी दबाव व बहकाव प्रसन्न चित के साथ

आज की बाजारी कीमत में बदले अंकन 19380/- उन्नीसहजार तीनसौ

अस्सी रुपया में हाथ महर्षि आयुर्वेद प्रतिष्ठान ई09 डिफेन्स कालोनी नई

दिल्ली द्वारा श्री सन्तशोर गिल पुत्रश्री करनलसिंह निवासी ई09 डिफेन्स

कालोनी नई दिल्ली के बय वतई करदिया और बेच दिया कुलबिक्रयधन इस

प्रकार प्राप्त किया कि अंकन 2380/रु0 नकद समक्ष श्रीसब रजिस्टार व अंकन

17000/-रु0 द्वारा चैक नम्बरी 424582 स्टेट बैंक ऑफइण्डिया दादरी

(7) 60 Rs.

साठ रुपया

भारत INDIA

६० रु. SIXTY RUPEES 60RS

(4)

ता0 14-12-79 का नकदसमक्ष श्री सबरजिस्टार महोदय दादरी वसूल पालिया हूं बाकी नही रहा है कब्जा मौकेपर क्रेता का करादिया है दाखिल खारिज बहक क्रेता करादिया जावेगा वरना बैनामा द्वारा क्रेता दाखिल करा लेगा। अब क्रेता इसबिक्रय भूमि कापूर्णरूप सेस्वामी हो गया हक है जिसप्रकार चाहे अपनेप्रयोग मालिकाना मे लाकर लाभ उठाता रहे। अगरबादज वैइस्तहकाक हम विक्रेतागण के वारदादावेदारो

(5)

हमारे किसी शाहीम व शारीक के विक्रय भूमि क्रेता से निकल जावेगी

तो ऐसी दशा में विक्रेतागण बिक्रय धन की वापसी के मयसूद कानूनी के

हिसाब से जिम्मेदार रहेंगे। अतः यह बैनामा तहई लिख दिया कि प्रमाण

रहे और समय पर काम आवे। इति

ग Keshri Singh S/o Nepal Singh R/o Hazi Pur

दि0 14-12-79 ई0 टाईप किया

(अमर सिंह नागर आर्य)

14.12.79

3322

500Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५००रु. Rs 500

भारत

पाँच सौ रुपया FIVE HUNDRED RUPEES

बैनामा 7200/- स्टाम्प 563/- का ।

विक्रयसम्पत्ति - बारह बिस्वे पुख्ता यानी 2-8। पैसे सालाना वाके ग्राम

भंगेल बेगमपुर परगना व तहसील दादरी जिला गाजियाबाद ।

स्टाम्प अधिकतम रेट से भी अधिक पर दिया जा रहा है ।

विक्रेता अनुसूचित एवं जनजाति से नहीं है ।

मैं श्री नन्दत्त पुत्र श्री अचमल निवासी भंगेल बेगमपुर डा० खेड़ा परगना व

तहसील दादरी जिला गाजियाबाद का हूँ

विदित हो कि ग्राम भंगेल बेगमपुर परगना व तहसील दादरी जिला

गाजियाबाद के खाता नं० 118 खेत नम्बर 20। बारह बिस्वा पुख्ता

यानी 2-8। सालाना का विक्रेता तन्हा मालिक मकाबिज है जो आज तक

नि. गा. 28/79 ... महारिणी ... ... द्वारा ... जी.
महायोग्य

5

7200/-	86/-	5/-	91/-	700

मी ... ... सर्ईदा ... पेशा ... ...
... ...
... ... 2 ...

... ... को आज
दिनांक ...29/7/79 समय मध्य ......3 बजे दिन के प्रस्तुत किया।

... ... 29-7-1979

... ...

Rs. 7200/- ... ...

... ...
... ... ने स्वीकार किया।

... ... की श्री ... ... पेशा ...
... ...

पुत्र श्री ... ...
निवासी ... ...
ने की 29/7/79

... ...

(2)

मेरी ओर से किसी प्रकार के भारबन्धक से सुरक्षित हस्तान्तरित स्थान पर

आवरोहन आदि मे ग्रस्त नही है अतः अब भूमि उपरोक्त को अपने समस्त

स्वामित्वअधिकारो सहित अपनी समस्त शुध्दबुध्दि व स्वस्थइन्द्रियों के

बदले अंकन 7200/- सात हजार हजार दोसौ रुपया मे हाथश्री महर्षि

ध्यान विध्यापीठ यू0पी0 द्वारा डा0 जी0 महापात्रा पुत्रश्री पी0

महापात्रा निवासी ई0 9 डिफेन्स कालोनी नई दिल्ली के बय कतई करदिया

और बेच दिया कुलविक्रयधन नकद समक्ष श्री सब रजिस्ट्रार महोदय दादरी

वसूल पालिया है कुछ बाकी नही रहा है कब्जा मौके पर क्रेता का करा

दिया गया है दाखिल खारिज बहक क्रेता करादिया जावेगा वरना लेन मे

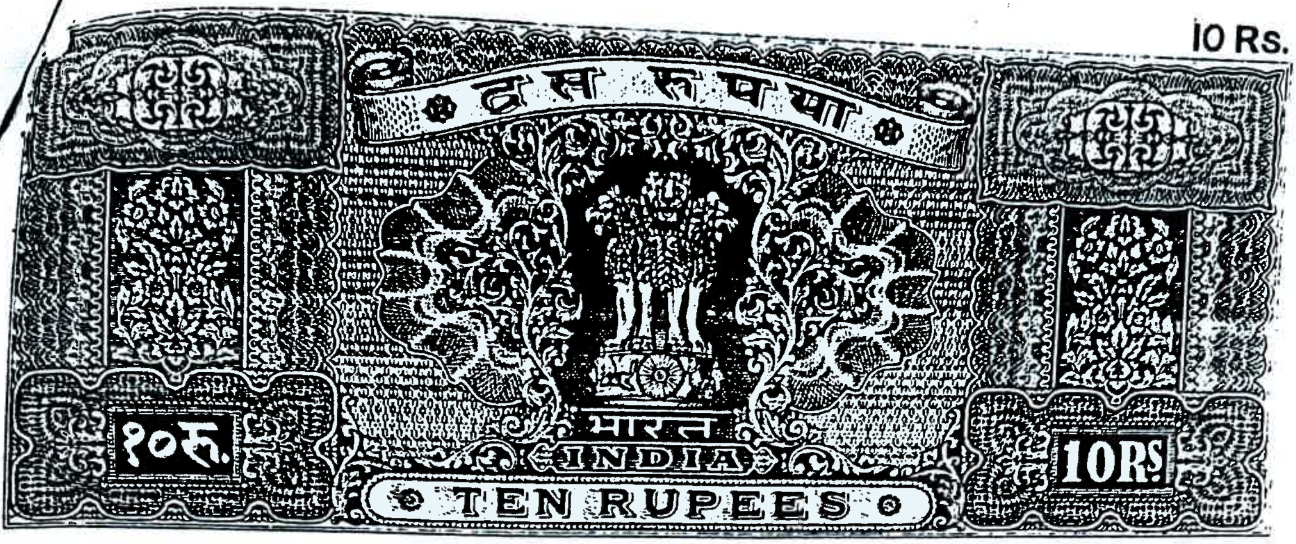

(३)

द्वारा क्रेता: खुद करा लाउल क्रेता इसविक्रय भूमि का पूर्णरूप से स्वामी हो

गया है वह उसे जिसप्रकार चाहे अपने प्रयोग मालिकाना मे लाकर लाभ उठावे

मुश्तरिक को कोई आपत्ति नही होगी। अगर बवजह बेदस्तहकाकी मुविक्रेता

के या बदावेदारी मेरे किसी शहीम व शरीक के विक्रय भूमि कमजक्रेता से

निकल जावेगी तो ऐसी दशा मे विक्रेता कुल विक्रयधन की वापसी का मय

सूद कानूनी के हिसाबसे जिम्मेदार रहेगा जदायगी के लिये मुविक्रेता की चल, अचल,

सम्पत्ति जिम्मेदार रहेगी कुछउजुरनही होगा। अतः यह बैनामा कतई लिखा

13-69

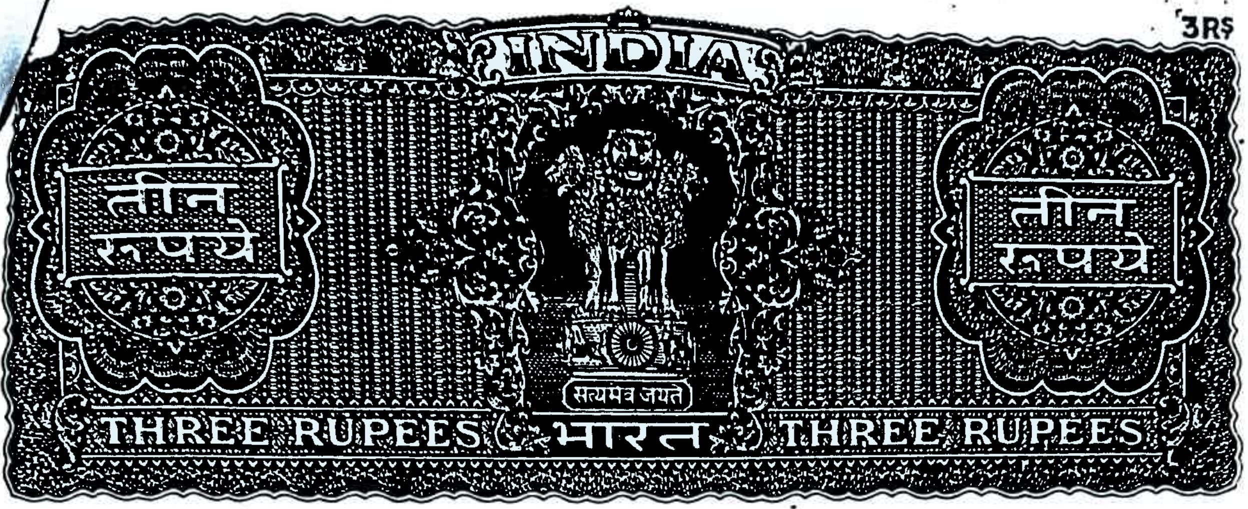

(4)

दिया विक्रमाणरके और समय पर काम आवे। इति

[illegible]
R/o [illegible]

[illegible]

दिनांक 29-8-79 ई० टाईपविधा
(समर सिंह नागर आदि)
[illegible]

दस्तावेज लेखक का नाम कैलाश अग्रवाल
अनुज्ञप्ति सं 8 दि 31/3/80 तक विमान्य
जिला स्थान दादरी गाजियाबाद
ली गई फीस 20/-
दस्तावेज लेखक के हस्ताक्षर
29.8.79

20/79 (3)

1369

[illegible]

5२व्दी

[illegible]

[illegible]
2/11/79

बस्ता नं I जिल्द 5 की रजिस्टर 5805/5830 में नम्बर 3322 पर

आज ता० 26/9/79 रजिस्ट्री की गई

[illegible signature]

ता. र.

मै0 महर्षि आश्रम ट्रस्ट, महर्षि नगर, सेक्टर–110, नोएडा।

मै0 महर्षि आश्रम ट्रस्ट, महर्षि नगर, सेक्टर–110, नोएडा।

मै0 महर्षि आश्रम ट्रस्ट, महर्षि नगर, सेक्टर–110, नोएडा।

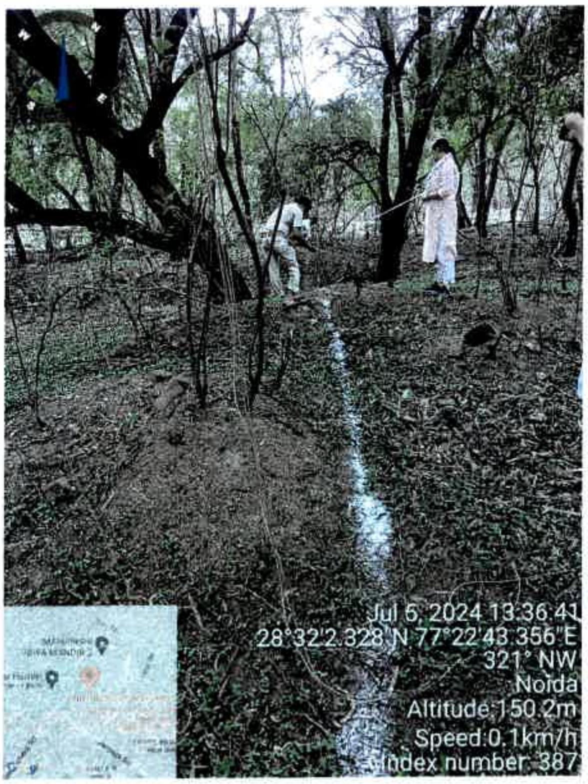

मै0 महर्षि आश्रम ट्रस्ट, महर्षि नगर, सेक्टर–110, नोएडा।